बैंक नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति
जयपुर

बैंक ज्योति

जनवरी–जून, 2025

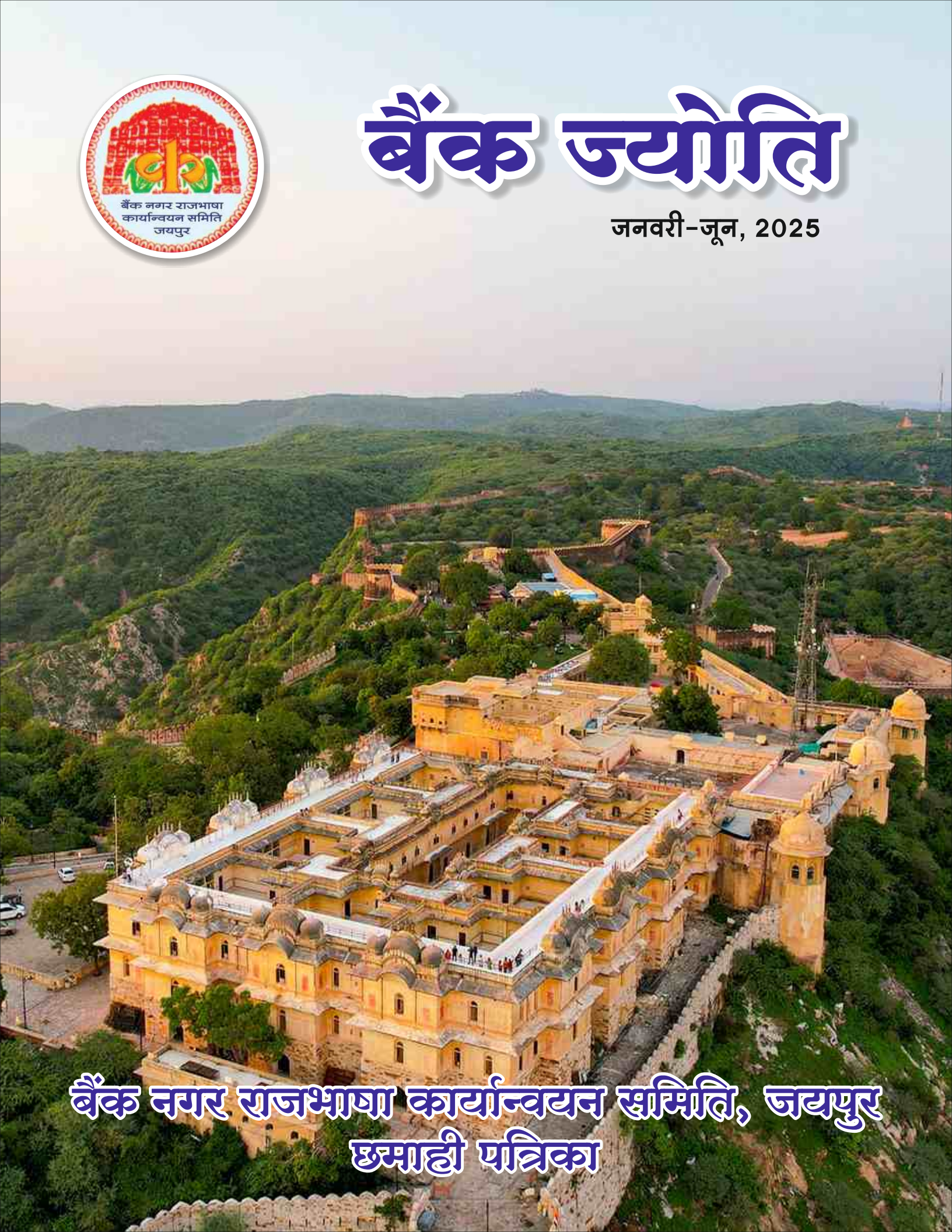

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर
छमाही पत्रिका

बैंक नराकास की छमाही पत्रिका

बैंक ज्योति

जुलाई-अगस्त, 2025

अध्यक्ष :
एम. अनिल
महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर अंचल
उपाध्यक्ष
रुचि शिवलिहा
उप अंचल प्रमुख
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर अंचल
अध्यक्ष, प्रकाशन उप समिति,
देबाशीष बक्शी
क्षेत्रीय प्रमुख
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर क्षेत्र
सदस्य सचिव :
अम्ब्रेश रंजन कुमार
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर अंचल
संयोजक प्रकाशन उप समिति :
नारायणी देवी
प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, क्षे.का.जयपुर
संपादन सहयोग
रश्मि शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय, जयपुर
अर्चना पुरोहित
प्रबंधक (राजभाषा)
इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, जयपुर

संपर्क :
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
समिति सचिवालय, अंचल कार्यालय, बड़ौदा भवन,
13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, जयपुर
दूरभाष : 0141-2727130
ईमेल : banktolicjaipur@gmail.com
www.banktolicjaipur.com

इस अंक में

सम्पादक मण्डल एवं अनुक्रमणिका	03
अध्यक्ष की कलम से...	04
उपाध्यक्ष की कलम से....	05
अध्यक्ष प्रकाशन उप समिति की कलम से....	06
सदस्य सचिव की कलम से....	07
आलेख – भारतीय बैंकिंग का भावी स्वरूप	08–10
कविता – प्रकृति की छाँव में	11
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	12–15
आलेख – वित्तीय संस्थानों का डिजिटल रूपान्तरण	16–19
आलेख – नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएँ	20–23
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	24–27
कहानी – मित्रता एक अमूल्य धन	28
कविता – (1) खामोशी, (2) हो जाए	29
कविता – मैनुअल बैंकिंग	30
सदस्य कार्यालयों की गतिविधियाँ	31–37
सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं राजभाषा प्रभारी	38–39
बैंक नराकास जयपुर के सदस्य कार्यालय	40

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त लेखकों के विचारों से समिति का सहमत होना जरूरी नहीं है।

अम्ब्रेश रंजन कुमार, सदस्य सचिव, बैंक नराकास एवं मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित एवं अशोका ऑफसेट, जयपुर द्वारा मुद्रित (केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

अध्यक्ष की कलम से...

प्रिय पाठकों,

'बैंक ज्योति' के नवीनतम अंक के माध्यम से एक बार फिर आप से संवाद करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। **'बैंक ज्योति'** का अंक समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रयासों, उपलब्धियों और रचनात्मकता का दर्पण है। यह केवल पत्रिका ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा और संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने कहा था– "जो अपनी भाषा का सम्मान करता है, वही वास्तव में अपनी संस्कृति का सम्मान करता है।" सचमुच हिंदी वह भाषा है जिसने विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बाँध रखा है। इसकी सरलता और सहजता हमें ग्राहकों, सहकर्मियों और समाज के साथ जुड़ने की शक्ति देती है। बैंकिंग जगत में भी हिंदी का प्रयोग हमें ग्राहकों से और निकटता से जोड़ता है तथा विश्वास की डोर को और मजबूत करता है।

आज तकनीक और वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया है। यह केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया और व्यापारिक गतिविधियों में हिंदी का बढ़ता उपयोग इस बात का प्रमाण है कि यह भाषा आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है।

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के साथ संवाद की सफलता का आधार उनकी भाषा है। हिंदी तथा अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रयोग बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और आत्मीय बनाता है। यही कारण है कि हमारी संस्था राजभाषा हिंदी के प्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित करती रही है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के सदस्य कार्यालयों द्वारा किए जा रहे प्रयास विशेष रूप से सराहनीय हैं। पिछले दिनों समिति के तत्वावधान में हमने एक नई पहल करते हुए 'जलवायु जोखिम प्रबंधन दृ वित्तपोषण एवं बीमा' विषय पर राज्य स्तरीय हिंदी सेमिनार का आयोजन किया। नगर समिति द्वारा यह आयोजन अपने आप में विशिष्ट रहा। इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत–बहुत बधाई।

मुझे यह भी प्रसन्नता है की हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर घोषित नराकास राजभाषा सम्मान के अंतर्गत नराकास, जयपुर को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए समिति के सभी सदस्य कार्यालयों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

आइए, हम सभी यह संकल्प लें कि हिंदी तथा नराकास, जयपुर को नई ऊँचाइयों तक ले जाकर इसे और भी प्रसिद्धि दिलवाएं।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

(एम. अनिल)
महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष
बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर

उपाध्यक्ष की कलम से...

प्रिय पाठकों,

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), जयपुर की पत्रिका **'बैंक ज्योति'** के माध्यम से आप सभी से पहली बार संवाद करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इस पत्रिका के जरिए हमें राजभाषा के महत्व को समझने, उसकी उपयोगिता को पहचानने तथा उसके प्रयोग संबंधी विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने अवसर प्राप्त होता है।

हम जानते हैं कि भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है और यह हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करें। राजभाषा का प्रयोग केवल सांविधिक आवश्यकता या औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, आत्मगौरव तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश भर में नगर समितियां निरंतर कार्य कर रही हैं।

यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर को भारत सरकार द्वारा 'नराकास राजभाषा सम्मान' के तहत राष्ट्रीय स्तर का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इसे आप सभी की सक्रियता का परिणाम समझती हूँ। इस उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे यह भी खुशी है पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नराकास प्रोत्साहन सम्मान के तहत देश की कुल 537 नगर समितियों में से जयपुर समिति को सर्वश्रेष्ठ 26 नराकास की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से समिति के सभी सदस्य कार्यालयों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

'बैंक ज्योति' के माध्यम से न केवल कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि साहित्य, संस्कृति, समाज एवं अन्य विविध क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियाँ भी सरल और सुगम भाषा में प्रस्तुत होती हैं। यह पत्रिका कर्मचारियों और पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी साबित हो रही है।

हम सभी यह संकल्प लें कि हम राजभाषा हिन्दी का प्रयोग केवल सरकारी पत्राचार या दस्तावेजों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएँ। इस दिशा में छोटे–छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। जब हम अपनी भाषा में सोचेंगे, लिखेंगे और संवाद करेंगे, तभी हम उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि **'बैंक ज्योति'** पत्रिका लगातार राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार और उसके प्रभावी प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

(रुचि शिवलिहा)
(उपाध्यक्ष)

अध्यक्ष, प्रकाशन उप समिति की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

नमस्कार

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका **"बैंक ज्योति"** के नवीनतम अंक के माध्यम से आप सभी सुधी पाठकों से प्रथम बार संवाद करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह पत्रिका न केवल राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की दिशा में हमारा सशक्त माध्यम है बल्कि यह हमारे साझा प्रयासों, उपलब्धियों एवं नवाचारों की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करती है।

राजभाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान की ध्वजवाहक है। **"बैंक ज्योति"**उसी पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए नित नए आयामों को स्पर्श करने का प्रयास करती है। यह केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है, जो हमारे विचारों, रचनात्मकता और अनुभवों को स्वर देता हैऔर सम्पूर्ण बैंकिंग परिवार को एक सूत्र में बाँधता है।

मैं इस विशेष अवसर पर प्रकाशन उपसमिति के सभी सक्रिय एवं कर्मठ सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस अंक की रूपरेखा से लेकर अंतिम प्रस्तुति तक समर्पण, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। इनके निरंतर प्रयासों से ही यह अंक समयबद्ध रूप से और उच्च गुणवत्ता के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो सका है।

साथ ही, मैं उन सभी लेखकों, कवियों, संपादकों एवं योगदानकर्ताओं का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य लेख, विचार, रचनाएं एवं गतिविधियों की जानकारी साझा कर इस पत्रिका की विषयवस्तु को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया। आपकी लेखनी **"बैंक ज्योति"** की आत्मा है।

मैं सभी सदस्य कार्यालयों, शाखाओं, सहयोगी इकाइयों एवं राजभाषा प्रेमी साथियों से आग्रह करता हूँ कि वे आगामी अंकों हेतु भी इसी प्रकार का सक्रिय सहयोग जारी रखें। अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों, क्षेत्रीय गतिविधियों, नवाचारों और अनुभवों को साझा कर हमें आगे भी प्रेरित करें। आप सभी की सहभागिता ही इस पत्रिका को जीवंत, उपयोगी एवं प्रेरक बनाए रखती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि **"बैंक ज्योति"** का यह अंक न केवल आपका ज्ञान वर्धन एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा, बल्कि यह राजभाषा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को और भी सुदृढ़ बनायेगा।

आप सभी के अमूल्य सुझावों, प्रतिक्रियाओं एवं रचनात्मक मार्गदर्शन की प्रतीक्षा रहेगी, ताकि आगामी अंकों को और भी उत्कृष्ट, व्यापक और जन–उपयोगी रूप में प्रकाशित किया जा सके।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(देबाशीष बक्शी)

क्षेत्रीय प्रमुख,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जयपुर क्षेत्र

एवं अध्यक्ष, प्रकाशन उपसमिति,

बैंक नराकास, जयपुर

सदस्य सचिव की कलम से...

प्रिय पाठकों,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की पत्रिका **'बैंक ज्योति'** के माध्यम से आप सभी से संवाद करने का अवसर पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। समिति का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि हम राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अपने कार्य–जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरल, सहज और प्रभावी ढंग से करें। राजभाषा हिन्दी केवल सरकारी कार्यों की भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय एकता का आधार भी है। जब हम अपनी मातृभाषा में सोचते, लिखते और संवाद करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है।

यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि समिति को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, समर्पण और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब सभी सदस्य कार्यालय और अधिकारी एकजुट होकर कार्य करते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी सहज ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

'बैंक ज्योति' पत्रिका इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पत्रिका केवल जानकारी का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहाँ हम विचार, अनुभव, लेख, कविताएँ और प्रेरणादायी प्रसंग साझा करते हैं। इससे न केवल हिन्दी भाषा के महत्व की अनुभूति होती है, बल्कि यह हमारी रचनात्मकता और साहित्यिक अभिरुचि को भी प्रोत्साहित करती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि **'बैंक ज्योति'** पत्रिका लगातार राजभाषा हिन्दी को नई दिशा देती रहेगी और यह हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम राजभाषा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सदैव प्राथमिकता देंगे और अपनी भाषा को गौरव का स्थान दिलाएं।

मैं इस अवसर पर सभी सदस्य कार्यालयों, राजभाषा अधिकारियों और सहयोगी कर्मचारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिनके परिश्रम, सहयोग और उत्साह से समिति निरंतर नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर रही है।

आइए, हम सब मिलकर हिन्दी को न केवल कार्य की भाषा बनाएँ, बल्कि उसे जीवन का अभिन्न अंग बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें।

शुभकामनाओं सहित,

(अम्ब्रेश रंजन कुमार)
सदस्य सचिव

आज़ादी और आज़ाद भारत

15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह दिन है जिसे हमेशा गर्व और उत्साह के साथ याद किया जाता है। यह वह दिन था जब भारत ने 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई। यह सिर्फ स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। आजादी का अर्थ केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक संघर्ष का परिणाम था जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। इस स्वतंत्रता ने हमें अपने देश की संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करने का अवसर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से ही यह आजादी प्राप्त हुई थी। लेकिन आजादी के साथ–साथ चुनौतियां भी आईं, जिनका सामना आजाद भारत को करना पड़ा। विभाजन की पीड़ा, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं स्वतंत्रता के साथ आईं। बावजूद इसके, आज भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और तेजी से विकसित हो रहा राष्ट्र है।

स्वतंत्रता से पहले भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति :

ब्रिटिश शासन से पहले भारत एक समृद्ध और स्वाभिमानी राष्ट्र था। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और यहाँ का उद्योग भी विकसित था। परंतु अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत की समृद्धि धीरे–धीरे छीन ली गई। ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण किया। कच्चा माल भारत से सस्ते दामों पर लिया जाता और तैयार उत्पादों को महंगे दामों पर भारतीय बाजारों में बेचा जाता था। इससे भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ा नुकसान हुआ।

अंग्रेजों ने न केवल आर्थिक रूप से भारत का शोषण किया, बल्कि सामाजिक रूप से भी विभाजन किया। भारतीय समाज को धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता ने समाज को कमजोर किया और इससे अंग्रेजों का शासन और सुदृढ़ हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत :

1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय जनता के असंतोष का पहला प्रमुख प्रदर्शन था। इसे भारतीय इतिहास में 'सिपाही विद्रोह' या '1857 की क्रांति' के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली संगठित बगावत थी। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इसके बाद भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना और भी प्रबल हो गई।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और सुव्यवस्थित किया। शुरू में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग की, लेकिन धीरे–धीरे कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठानी शुरू कर दी। इस दौरान लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने भारतीय जनता में जागरूकता फैलाई।

महात्मा गांधी और अहिंसक आंदोलन :

महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेता थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारतीय जनता को एकजुट किया और अहिंसक आंदोलन की नींव रखी। गांधीजी ने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता को संगठित किया। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया।

1. असहयोग आंदोलन (1920–1922)

1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जनता से अपील की गई कि वे ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करें। ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने ब्रिटिश वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया और भारतीय जनता में एकजुटता बढ़ाई।

2. सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)

1930 में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन नमक कानून के खिलाफ था। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था और भारतीय जनता को बिना अनुमति के नमक बनाने से मना किया गया था। गांधीजी ने

दांडी यात्रा की शुरुआत की और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत बनाया।

3. भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से बिना उनकी सहमति के युद्ध में भागीदारी की मांग की, जिससे भारतीय जनता में आक्रोश फैल गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की घोषणा की। गांधीजी ने 'करो या मरो' का नारा दिया और जनता से अपील की कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम संघर्ष करें। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन जनता ने अपने आंदोलन को जारी रखा और अंततः इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर कर दिया।

क्रांतिकारी आंदोलन :

महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों के समानांतर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का मार्ग चुना। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि केवल हिंसक तरीके से ही ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका जा सकता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए और जनता को संगठित किया। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी ने भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना को और भी प्रबल किया।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज :

सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक और प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन किया और आजाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उनका नारा 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' आज भी भारतीय जनता के दिलों में गूंजता है। नेताजी ने जापान और जर्मनी की मदद से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया।

आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिया और वहां तिरंगा फहराया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार के बाद नेताजी के प्रयास असफल रहे, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है। उनकी क्रांतिकारी सोच और साहस ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाई।

विभाजन और स्वतंत्रता :

स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही भारत को विभाजन का दुखद सामना करना पड़ा। धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। यह विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ी त्रासदी साबित हुआ। विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और हत्याएं हुईं। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच यह विभाजन भारतीय इतिहास का एक कड़वा अध्याय है।

स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ :

15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके बाद भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ खड़ी थीं।

1. राजनीतिक चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के बाद भारत को एक संगठित और सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती थी। संविधान सभा का गठन किया गया और डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

2. आर्थिक चुनौतियाँ

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कृषि और उद्योगों की हालत दयनीय थी। भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लेना पड़ा। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी पहलों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की।

3. सामाजिक चुनौतियाँ

भारत की सामाजिक संरचना में जातिवाद, छुआछूत और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं गहरी थीं। संविधान ने समाज में

समानता और न्याय की गारंटी दी, लेकिन इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकना आसान नहीं था। महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों और शिक्षा के प्रसार से स्थिति में धीरे–धीरे सुधार आया।

स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ :

1. अंतरिक्ष और विज्ञान

भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। Indian Space Research Organization (ISRO) ने कई सफल मिशन पर कार्य किए हैं, जिनमें चंद्रयान, मंगलयान और अन्य उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम प्रमुख हैं। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है।

2. परमाणु शक्ति

भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनी सैन्य और रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे 'स्माइलिंग बुद्धा' कहा गया। इसके बाद 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे भारत ने विश्व के प्रमुख परमाणु शक्तियों में अपना स्थान बनाया।

3. आर्थिक सुधार

1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी आई। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों ने भारतीय बाजार को वैश्विक निवेश के लिए खोला। इससे देश की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

4. शिक्षा और स्वास्थ्य

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जैसी योजनाएं गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।

निष्कर्ष :

भारत की आजादी का संघर्ष बलिदान, त्याग और समर्पण की एक अमूल्य गाथा है। 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता ने हमें एक नया जीवन दिया। हम आपकी समृद्ध विरासत को कायम रखते हुए नए लक्ष्य के साथ बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

रामकेश मीणा
डीसीएम शाखा, जयपुर

हिन्दी के विकास में बढ़त

भारत शुरुआती दौर से ही हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश, एक ऐसा देश जहां अनेक सभ्यताओं के लोगों ने आश्रय लिया, जो गत 1000 वर्षों में किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नही करने का अद्भुत रिकॉर्ड रखता है। विदेशी लोग अलग अलग उद्देश्यों से भारत आए कोई ज्ञानार्जन के लिए, कोई आश्रय लेने, कोई व्यापार करने, कोई यहां की धन सम्पदा लूटने के लिए, तो किसी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। इन सभी में एक बात समान थी वो ये कि जो भी यहां आया वो यहां के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण यहीं का होकर रह गया।

वर्ष 1616 में अजमेर में मुगल राजा जहांगीर से, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि सर टामस रॉ भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के उद्देश्य से मिला। तत्कालीन बादशाह द्वारा उसे भारत में व्यापार करने की सहर्ष अनुमति मिली। जो सांस्कृतिक विविधता, भारत रूपी शरीर का रक्त थी; उसी सांस्कृतिक विविधता को अंग्रेज घुसपैठिये ने अपनी कुटिल योजनाओं का प्रभावी उपकरण बनाते हुए'फूट डालों और राज करो' की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन कर सत्ता हासिल की। अंग्रेजो ने जब सत्ता हासिल की तब अन्य विदेशी आक्रान्ताओं और अंग्रेजों में मुख्य अंतर ये था कि इससे पूर्व आने वाले सभी आक्रान्ताओं का उद्देश्य केवल भारत की अपार धन सम्पदा को लूटना मात्र था, जबकि अंग्रेजों ने इस देश की इन्द्रधनुषी सभ्यता को ही मानो समाप्त करने की कार्य–योजना तैयार की थी।

इसी कार्य योजना में सर्वप्रथम भारतीयों के दिमाग में इस विचार को प्रतिस्थापित किया गया कि भारतीय अच्छे प्रशासक नही हो सकते अतएव यदि आपको अच्छा प्रशासक बनना है तो अच्छे प्रशासकों के गुण, उनकी भाषा सीखिए एवं उस भाषा में काम करें जिसमें प्रशासक काम करते हैं अर्थात अंग्रेजी।

गुरूकुल को नष्ट कर उसे स्कूल/कॉलेजो से प्रतिस्थापित किया गया जो भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान से अपने को लाभान्वित करता था वह इन क्लर्क मैन्यूफैक्चरिंग फैक्टरीज में अंग्रेजी भाषा से ज्ञानार्जन करते हुए प्रशासक बनने के अपने स्वप्न को साकार करने की दौड़ दौडने लगा।

दमन चक्र, सांस्कृतिक चेतना एवं समग्र प्रयासों के फलस्वरूप देश 190 वर्षों की गुलामी के पश्चात देश पुनः आजाद हुआ, इस बार इसका स्वरूप राजशाही न होकर लोकतान्त्रिक था। सत्ता किसी एक व्यक्ति की इच्छानुसार नही होकर व्यवस्थापिका से संचालित की जाने लगी। भाषाई सांस्कृतिक विविधता वाले इस देश में जब किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर विचार किया गया तो हिन्दी एक सर्वमान्य भाषा के रूप में उभरी । स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय में हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता था, आज भी भारतीय जनमानस की सामान्य भावना यही है कि संविधान में वर्णित 'इन्डिया जो कि भारत है' कि राष्ट्रभाषा हिन्दी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में 13 सितम्बर 1949 की बहस में भाग लेते हुए कहा था कि "विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता है। कोई भी विदेशी भाषा किसी भी दूसरे देश के आम लोगो की भाषा नही हो सकती है। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में, जो अपनी आत्मा पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, उसके लिए हमें हिन्दी को अपनाना चाहिए।"

इसी के अगले दिन 14 सितम्बर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी इस महत्वपूर्ण निर्णय को रेखांकित करने के लिए तथा हिन्दी का प्रचार करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

किसी भाषा के प्रभुत्व का कारण मुख्य रूप से उसका सत्ता के केन्द्र में होना एवं आर्थिक जगत से संबंधित होना रहा है। अंग्रेजी भाषा इस विषय में अत्यधिक सफल रही है। जिसके कारण भारत में हिन्दी सहित तमाम उन्नत भाषा जैसे द्रविड कुल की सभी भाषाएं, बांग्ला या अन्य देशी भाषाएं भी अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष करती सी प्रतीत होती हैं। हिन्दी भाषा सरिता के उस निर्मल जल प्रवाह के समान है जो अपने पथ में आने वाली हर वस्तु को अपने में आत्मसात करती चली जाती है। समय के साथ साथ हिन्दी अधिक मजबूत होती चली गई है। स्वतन्त्रता के समय जहां हिन्दी के करीब सवा लाख शब्द थे वहीं वर्तमान में यह अपने को छः लाख से अधिक शब्दों से अपने को समृद्ध कर चुकी है। भाषा की यह प्रगति बेहद प्रशंसनीय है साथ ही यह भी चिन्ता का विषय है कि एक राष्ट्र के रूप में अभी भी यह भाषा अंग्रेजी को प्रतिस्थापित नहीं कर पाई है।

समस्या का विवेचन करने पर अनेक तथ्य इसके लिए उत्तरदायी लगते हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का चलन, सत्ता प्रमुखों की उदासीनता, हिन्दी में कार्य करने में हीनता का बोध, अंग्रेजी ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना प्रमुख है। हिन्दी को प्रमुख कार्यालयीन भाषा के लक्ष्य से दिशाहीन करते हुए जिस प्रबल इच्छाशक्ति के साथ कुछ निर्णय जो लिए जाने थे वे नही लिए गए। स्कूल/कॉलेजो में भी हिन्दी को शिक्षा की दृष्टि से उच्च स्थान नही दिया गया जिसके कारण व्यवस्थापिका में उन्ही प्रशासकों का बाहुल्य रहा जो अंग्रेजी भाषा में ही काम करते हैं फलतः हिन्दी भाषा में काम करने से अधिकारी या तो सकुचाते हैं या काम ही नहीं करते हैं। इस प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा इस मानसिकता से केवल अंग्रेजी में काम इस सोच के साथ किया जाता है कि सभी को इस भाषा का ज्ञान है। सामान्य व्यक्ति गहन भाषाई ज्ञान नही होने, अपने अज्ञान के उजागर होने से रोकने के लिए उदासीनता या निष्क्रियता को अपनाते हैं।

सामान्य जन के लिए उन सभी जगहों तक हिन्दी की पंहुच बनाने के लिए प्रभावी कदम नही लिए गए जहां हिन्दी का प्रयोग अतिआवश्यक हों। यूरोप के अनेक देश जिनका आकार भारत के कई राज्यों से भी छोटा है वहां सब विवरण स्थानीय भाषा में उपलब्ध है जबकि भारतीयों को सामान्य जानकारियां अंग्रेजी में ही उपलब्ध हो पाती है स्थिति ये है कि मूल मसौदा अंग्रेजी में ही तैयार किया जाता है, फिर अनुवाद के प्रति उदासीनता और हिन्दी में सूचना की मुखर मांग का अभाव जन सामान्य पर अंग्रेजी का बोझ लादता है । कारण हमने विरासत में अंग्रेजो से कानून तो ले लिए मगर उसमें हिन्दी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित नहीं किया। यही कारण है कि न्याय के लिए आवश्यक मंचो को अभी तक हिन्दी में कार्य करने के लिए निर्देशित नही किया गया है। सर्वोच्च न्यायलय ने तो साफ बता दिया है कि उसके कक्षों में हिन्दी पंहुचने की सम्भावना अभी भी विचाराधीन है जिस देश की जनसंख्या का लगभग 90 फीसदी हिस्सा प्रभावी रूप से अंग्रेजी नहीं जानता हो तो ऐसी स्थिति में जब पूरा देश हिन्दी दिवस मनाता है तो एक वास्तविक हिन्दी प्रेमी के मन में टीस उठती है कि हम अपनी भाषा को एक दिन मनाकर हम क्या कर रहे हैं?

यह हिन्दी का बढ़ता प्रभुत्व ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सहित कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आकर कहीं भाषण देता है तो हिन्दी में भी कुछ बोलने का प्रयास करता है। अनेक देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने कोविड–19 के दौरान भारत द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने पर आभार व्यक्त करने के लिए हिन्दी का प्रयोग किया। ये देश के प्रभुत्व को बढ़ाने के गर्व के साथ जन–मानस में हिन्दी की सशक्तता का गौरव अनुभव करने वाली अनुभूति रही। पूरे भारत में हिन्दी अपना विस्तार कर चुकी है। स्कूल/कॉलेजों में भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ रही है। कुल मिलाकर युवा भारतीयों के अपनी भाषा के प्रति प्रेम एवं इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि हिन्दी इतने व्यापक रूप में प्रयुक्त होने लगी है।

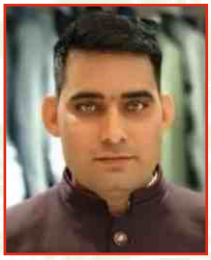

रोहिताश खरींटा
प्रबन्धक–राजभाषा
जयपुर अंचल
बैंक ऑफ इंडिया

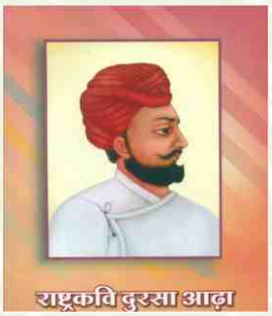

राष्ट्रकवि दुरसा आढ़ा

भारत के पहले राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित श्री दुरसा आढ़ा का जन्म ई. सन 1535 (विक्रम संवत 1592 माघ सुदी चौहदस) में पाली के सोजत परगने जो उस दौर में मारवाड़ राज्य के अधीन था, धूँदला गांव में चारण आढ़ा शाखा में हुआ था। दुरसा आढ़ा के पूर्वज जालौर जिले के असाडा के गांव से संबन्धित थे यही कारण रहा उनकी शाखा का नाम आढ़ा पड़ा। बीकानेर की इष्ट देवी करणी माता रिश्ते में आपकी बुआ लगती थीं। दुरसाजी छह वर्ष के थे तब उनके पिता मेहाजी आढ़ा हिंगलाज की तीर्थयात्रा पर चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। पिता के संन्यास लेने के बाद घर चलाने के लिए उन्होने धुंदला गांव में एक किसान के खेत में बाल मजदूर का काम किया। एक बार सिंचाई करने के दौरान कच्ची मिट्टी से बनी नहर का बांध टूट गया। मिट्टी कच्ची होने के कारण दोनों ओर की नालियों से पानी बहने लगा। फसल का नुकसान होता देख किसान को क्रोध आया ओर उन्होने क्रूरता की सारी हदें पार करते दुरसा को वहीं टूटी हुई पाल पर फेंक उस पर मिट्टी डाल दी ताकि उसकी फसल को नुकसान न हो और सिंचाई के लिए रोके गए पानी का फैलाव भी न हो। पानी तो रुक गया पर आढ़ा मिट्टी में दब गए।

बगड़ी नामक जागीर के सामंत ठाकुर प्रताप सिंह अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए खेत में स्थित कुएं पर जब पहुंचे, उनकी नजर खेत की मिट्टी में दबे लड़के पर पड़ी तो वह चौंक गए। वह बालक को अपने साथ सोजत ले आए। बालक की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होने उसकी उचित शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था की। कुछ वर्षों में वह बालक एक सक्षम प्रशासक, योद्धा और एक प्रतिभाशाली कवि तथा विद्वान बन गया। जो आज पहले राष्ट्र महाकवि दुरसाजी आढ़ा के नाम से प्रसिद्ध है।

दुरसा केवल एक प्रतिभाशाली कवि नहीं थे, उनकी तलवार भी उनकी कलम की तरह तेज़ थी। उनकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने उन्हे अपना प्रधान सलाहकार और सेनापति नियुक्त किया और दुरसा को पुरस्कार के रूप में धूँदला और नाथलकुडी नाम के दो गाँवों की जागीर भेंट की।

दुरसा आढ़ा महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन एवं 16वीं सदी के एक महान योद्धा और राजस्थानी भाषा (डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का एक रूप) कवि थे। उन्हें भारत के 'प्रथम राष्ट्रवादी कवि' की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के संघर्ष के पक्ष में इन्होंने मुगलों के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप के यश, वीरता,साहस, का गुणगान साहसी डिंगल कविताओं में प्रखर राष्ट्रवादी स्वरों की रचनाओं के माध्यम से किया। यही कारण है कि दुरसा आढ़ा उस दौर के उच्चतम माने जाने वाले कवियों में से एक हैं, जो मुगल दरबार का एक मूल्यवान और सम्मानजनक हिस्सा भी थे और साथ ही साथ उत्कृष्ट साहित्यकार, इतिहासकार, युद्ध सेनापति, सलाहकार, मध्यस्थ, प्रशासक भी। दुरसा आढ़ा के सभी राज्यों के शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अपने जीवनकाल में अर्जित धन, प्रसिद्धि और सम्मान के आधार पर और राजस्थान के इतिहास और साहित्य में उनके योगदान के आधार पर राजस्थान के इतिहासकार और साहित्यकार उन्हें सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि डिंगल भाषा में अपनी कलम को मुखर करने के पश्चात भी दिल्ली साहित्य अकादमी की दुरसा जी आढ़ा का नाम 'भारतीय साहित्य के निर्माता' नामक सूची में भारतीय इतिहास के महान साहित्यकारों में सम्मिलित है।

वे अकबर के दरबारी कवि थे और दरबार में रहते हुए ही उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कई कवितायें लिखीं। जब महाराणा प्रताप के निधन की खबर मुगल दरबार में पहुँची, तो निडर होकर अकबर की उपस्थिति में प्रताप का बखान किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना पाकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसका यह हाल देखकर दरबारी ताज्जुब में पड़ गए, वहां मौजूद प्रसिद्ध चारण कवि दुरसा आढ़ा ने सम्राट की भावना को ठीक तरह से समझा और उसी समय कहा :–

अस लेगो अणदाग, पाग लेगो अणनामी।
गो आडा गवड़ाय, जिको बहतो धुरवामी।
नवरोजे नह गयो, न गो आतसां नवल्ली।
न गो झरोखां हेठ, जेथ दुनियांण दहल्ली।
गहलोत राण जीती गयो, दसण मूँद रसणा डसी।
नीसास मूक भरिया नयन, तो मृत शाह प्रतापसी।।।।

अर्थात "तूने अपने घोडे को (शाही) दाग नहीं लगने दिया। अपनी पगडी तूने कभी भी किसी के सामने नहीं झुकाई। तू अपने यश के गीत गवा गया। अपने राज्य की धुरी को तू अपनी भुजाओं से चलाता रहा। तू न तो नवरोज में गया और न शाही डेरों में। तू शाही झरोखे के नीचे नहीं गया। तेरी श्रेष्ठता के कारण दुनिया ही दहलती रही। हे प्रतापसिंह! गहलोत राणा (प्रताप) तेरी ही विजय हुई। तू जीत गया।

दुरसा जी से 4 पीढ़ी पश्चात् मेवाड़ के सिसौदिया वंश का मूल गाँव सिसौदा भी, दुरसा जी के वंशजों को ही जागीर में मिला जहाँ वे आज तक निवास करते हैं। दुरसा जी आढ़ा विषमता और विपन्नता के अंधकार से उठकर संपन्नता, ऐश्वर्य और उससे भी अधिक, राष्ट्र गौरव के तेज से साहित्य क्षितिज का चमकता नक्षत्र बन जाने वाले एक विलक्षण व्यक्तित्व हैं। सत्यनिष्ठा और प्रतिभा पर कोई भी चुनौती ग्रहण नहीं बन सकती है, दुरसा जी का जीवन उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। बचपन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने प्रशासक और काव्य प्रतिभा से सम्मान अर्जित किया। वह दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर और सिरोही सहित कई शाही दरबारों का हिस्सा रहे। मुगल बादशाह अकबर के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे।

दुरसाजी आढ़ा द्वारा लिखी गई कविताएँ ज्यादातर उस समय के शासकों की वीरता और युद्धों से संबंधित हैं, लेकिन कई सांसारिक मामलों का भी वर्णन करती हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में उनके लेखन के मामले में, उन्होंने अपने विषयों की उपलब्धियों को व्यक्तिगत रूप से तब भी माना जब वे लगातार एक–दूसरे के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी गहरी आस्था व्यक्त थी, हिंदू नायकों की बहादुरी की सराहना की और मुगलों के अन्याय के बारे में लिखा।

उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं :

- विरुद छिहत्तरी (महाराणा प्रताप के सम्मान में)
- दोहा सोलंकी वीरमदेवजी रा
- झूलना राव सुरतन रा
- मरसिया राव सुरतन रा
- झूलना राजा मानसिंह कच्छवाहा रा
- झूलना रावत मेघा रां
- गीत राजी श्री रोहितासजी रा
- झूलना राव अमरसिंह गजसिंहोत (नागौर के राव अमरसिंह की वीरतापूर्ण कविता)
- किरतार बावनी
- माताजी रा छंद
- श्री कुमार अज्जाजी और भुचर मोरी नि गजगत

रश्मि शर्मा
वरिष्ठ प्रबन्धक, राजभाषा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जयपुर अंचल

बैंकिंग क्षेत्र एवं बीमा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (A.I.) का प्रयोग अथवा उपयोग

आवश्यकता के कारण, नया सृजन होता है..... प्रौद्योगिकी उनमें से एक है। आज के संदर्भ में समाज का हर हिस्सा प्रौद्योगिकी अथवा तकनीक से प्रभावित है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है जैसे स्वास्थ्य, वित्त, परिवहन, मनोरंजन, एयरोस्पेस और रक्षा, शिक्षा, विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा इत्यादि। वित्तीय गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक के रूप में जाना जाता है। फिनटेक में AI एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence, AI) की संकल्पना विज्ञान, तकनीकी एवं डिजिटल दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का परिचायक है।

AI, एक ऐसा दर्शन है जो मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने, सीखने, और समस्या समाधान करने की क्षमता वाले सिस्टम्स के निर्माण पर केंद्रित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास एक लंबी और गतिशील प्रक्रिया रही है। इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, जब वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मशीनों में 'सोचने' और 'सीखने' की क्षमता को विकसित करने की कल्पना की थी। वर्तमान मे यह एक असीम संभावनाओं के क्षेत्र के रूप मे उभर रहा है जिसका अनुमान इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि एआई प्रौद्योगिकियों का बाजार 2023 में लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अनुमान है कि 2030 तक यह बाजार 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा, जो इस क्षेत्र में विकास और नवाचार की गति को दर्शाता है। बिग डेटा, सेंसर, उपकरण, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), क्लाउड सेवाएँ, मशीन लर्निंग और एआर/वीआर सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : बैंकिंग की नई क्रांति

डिजिटलीकरण एवं कोरोना ने वैश्विक स्तर पर तकनीकी की महत्ता से सबको अवगत कराया, लम्बी लम्बी कतारों वाले बैंकों को एक क्लिक पर ले आने में इसका बहुत योगदान रहा। तकनीक के प्रति संवेदनशील ग्राहक, जो अपनी दैनिक गतिविधियों में उन्नत तकनीकों से अवगत हैं, मोबाइल बैंकिंग, ई–बैंकिंग, और रीयल–टाइम मनी ट्रांसफर जैसी सेवाओं का लाभ उठा रहा है। ये प्रगति बैंक व ग्राहकों के लिए चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है। AI का बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग इन चुनौतियों के एक

विकल्प के रूप में उभरा है, जो ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है।

वर्तमान में बैंकिंग में AI का प्रयोग निम्न प्रकार से परिलक्षित है :

- **वर्चुअल असिस्टेंट :** AI आधारित चैटबॉट्स और वॉयस असिस्टेंट सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने, बैलेंस की जानकारी देने, या किसी अन्य सेवा की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये चैटबॉट्स 24/7 उपलब्ध रहते हैं और इससे न केवल ग्राहकों का समय बचता है बल्कि बैंकों का ऑपरेशनल खर्च भी कम होता है।
- **धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन :** AI आधारित एल्गोरिदम का उपयोग बैंकों में लेनदेन की निगरानी के लिए किया जाता है। ये एल्गोरिदम असामान्य या संदिग्ध गतिविधियों को पहचानते हैं और संभावित धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक के खाते से अचानक बड़ी रकम निकाली जाती है या अप्रत्याशित स्थान से लेनदेन होता है, तो AI तुरंत अलर्ट कर सकता है। जोखिम प्रबंधकों को संभावित अस्वीकार्य जोखिमों के प्रति सचेत करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना।
- **साइबर सुरक्षा :** सबसे उन्नत एआई सुरक्षा प्रणालियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने, संभावित सुरक्षा उल्लंघनों को शुरू में ही रोकने, या उन लोगों को सचेत करने के लिए नेटवर्क पर स्थायी रूप से निगरानी रखती हैं जो सुरक्षा मुद्दे को स्वयं ही ठीक कर देंगे।
- **अनुपालन उपाय :** मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके धोखाधड़ी का पता लगाने और एसेट–लायबिलिटी मैनेजमेंट (ALM) की प्रभावी निगरानी के लिए नीतियाँ और प्रक्रिया स्थापित करना।
- **प्रक्रिया स्वचालन और क्रेडिट मूल्यांकन :** न्यूनतम कागजी कार्रवाई, स्वचालित ऋण प्रक्रिया, तीव्र ऋण की स्वीकृति सटीक क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण। AI ग्राहकों के लेनदेन के इतिहास, भुगतान के पैटर्न, और वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण करके ऋण देने के जोखिम को कम करता है।
- **व्यक्तिगत ग्राहक सेवा :** पिछली बातचीत के आधार पर, AI ग्राहकों और उनके व्यवहार की बेहतर समझ से व्यक्तिगत सेवा में सुगमता प्रदान करता है।

- **लाभप्रदता :** पेपरलेस एवं टाइमलेस बैंकिंग को बढ़ावा देकर बैंको की लाभप्रदता को बढ़ाना।

बीमा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश

बीमा क्षेत्र में AI का उपयोग जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, और दावों की प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जा रहा है।

- **बीमा दावों की प्रक्रिया में सुधार :** AI एल्गोरिदम दस्तावेज़ों और दावों की जांच करके यह तय करते हैं कि दावा वैध है या नहीं। दावों की तेजी से प्रोसेसिंग और ग्राहकों को समय पर भुगतान।
- **जोखिम मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण :** AI का उपयोग बीमाधारकों के लिए जोखिम मूल्यांकन करने में भी किया जा रहा है। AI आधारित सिस्टम व्यक्तिगत जानकारी, चिकित्सा रिकॉर्ड, और सामाजिक गतिविधियों का विश्लेषण करके बीमा प्रीमियम को अधिक सटीकता से निर्धारित कर सकते हैं। इससे बीमा कंपनियों को नुकसान कम होता है और ग्राहकों को भी उचित दरों पर बीमा प्राप्त होता है।
- **ग्राहक अनुभव में सुधार एवं पर्सनलाइज्ड सेवा :** AI आधारित चैटबॉट्स और वॉयस असिस्टेंट का उपयोग करके सहायता और व्यवहार के आधार पॉलिसी सुझाव एवं समाधान।
- **धोखाधड़ी का पता लगाना :** मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से संदिग्ध दावों की पहचान एवं धोखाधड़ी पर रोक।
- **मार्केट ट्रेंड एनालिसिस :** बाजार के रुझानों और ग्राहकों की प्राथमिकताओं का विश्लेषण से उत्पादों में सुधार व नए अवसर।

भविष्य में AI :

"तकनीक ने बदला जीवन का स्वरूप,
हर पल, हर जगह, इसका अद्भुत रूप।
जो सोचा न था कभी, अब वो हकीकत है,
भविष्य की ये अनमोल अमानत है।"

हालांकि AI का उपयोग बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कई लाभ प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा प्रमुख चिंताएं हैं, क्योंकि AI ग्राहकों के व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा पर काम करता है। इसके अलावा, AI के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक तकनीकी ढांचा और कुशल मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। भविष्य में, AI और भी उन्नत रूप से इन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। सही दिशा में कदम उठाने पर AI इन क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

गार्गी शर्मा
सहायक प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

वर्तमान परिदृश्य में हिंदी का बदलता स्वरूप

प्रस्तावना :

भारत एक विशाल देश है जिसकी पहचान इसकी विविधता में एकता में निहित है। यहाँ भाषाओं, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों, वेशभूषा, खान–पान और जीवनशैली की अद्वितीय विविधता पाई जाती है। इतने भिन्नताओं के बावजूद देश में एक अदृश्य बंधन है जो सबको जोड़ता है। इस एकता को बनाए रखने में जिन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें से हिन्दी भाषा अग्रणी स्थान रखती है। हिन्दी ने विभिन्न भाषा–भाषी, क्षेत्रीय, और सांस्कृतिक समूहों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। यह केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सेतु है।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि सैकड़ों अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ भी प्रचलित हैं। जैसे– बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती आदि। इन भाषाओं के बीच सामंजस्य और संवाद बनाए रखने के लिए एक साझी संपर्क भाषा की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाती रही है। हिन्दी इस आवश्यकता की पूर्ति करती है।

हिन्दी को भारत की राजभाषा **14 सितंबर 1949** को संविधान सभा द्वारा घोषित किया गया। यद्यपि अंग्रेज़ी को भी सहायक भाषा के रूप में रखा गया, फिर भी हिन्दी को प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में विशेष प्राथमिकता मिली। हिन्दी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है जिससे इसकी राष्ट्रीय महत्ता उजागर होती है।

साहित्यिक विविधता :

भारत का सांस्कृतिक वैभव अत्यंत समृद्ध है। हिन्दी साहित्य, संगीत, रंगमंच और लोककलाओं में इस संस्कृति का जीवंत चित्रण मिलता है। हिन्दी साहित्य में तुलसीदास की 'रामचरितमानस', सूरदास की भक्ति रचनाएँ, कबीर के दोहे, प्रेमचंद के सामाजिक उपन्यास, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद की कविताएँ– इन सबने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से उकेरा है। भक्ति आंदोलन और हिन्दी साहित्य आंदोलन ने हिन्दी को जन–जन से जोड़ा। आधुनिक हिन्दी साहित्य ने राष्ट्रीयता, समानता और सामाजिक सुधारों को स्वर दिया। इन साहित्यिक कृतियों ने भारत को एक वैचारिक और भावनात्मक एकता दी।

मीडिया और मनोरंजन मे हिन्दी :

हिन्दी फिल्म उद्योग, जिसे प्रायः 'बॉलीवुड' कहा जाता है, भारत ही नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संदेशों, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम भी हैं। हिन्दी फिल्मों के गीत, संवाद और कहानियाँ पूरे भारत में लोकप्रिय हैं– भले ही लोग अलग–अलग भाषाएँ बोलते हों, पर एक हिन्दी गीत सबके दिलों को जोड़ देता है। समाचार माध्यमों में भी हिन्दी की उपस्थिति बहुत मजबूत है– हिन्दी अखबार, टीवी चैनल और ऑनलाइन पोर्टल्स करोड़ों पाठकों और दर्शकों से सीधे संवाद करते हैं।

भारत के अधिकतर राज्यों में हिन्दी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषय है। हिन्दी माध्यम के विद्यालयों और कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिविल सेवा, रेलवे, बैंकिंग, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम एक प्रमुख विकल्प है। इससे हिन्दी भाषी युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त होते हैं। कई राज्यों में प्रशासनिक कार्यों के लिए भी हिन्दी का प्रयोग किया जाता है, जिससे आमजन को सरकार से संवाद करने में सुविधा मिलती है।

दक्षिण भारत में पहले हिन्दी को लेकर कुछ हिचकिचाहट रही थी, विशेषकर तमिलनाडु में। लेकिन समय के साथ हिन्दी का स्वीकार और प्रभाव दक्षिण भारत में भी तेजी से बढ़ा है। युवा वर्ग हिन्दी फिल्मों, गानों, सोशल मीडिया कंटेंट और मोबाइल एप्स के माध्यम से हिन्दी से जुड़ रहा है। पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी का ज्ञान एक लाभकारी कौशल बन चुका है। आज बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगरों में हिन्दी बोलने–समझने वाले लाखों लोग हैं।

सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया में हिन्दी :

डिजिटल इंडिया के दौर में हिन्दी कंटेंट की माँग तेजी से बढ़ी है। हिन्दी में ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, तकनीकी लेखन, अनुवाद और पत्रकारिता के क्षेत्र में भरपूर अवसर हैं। अनेक मोबाइल ऐप, वेबसाइटें और सेवाएँ अब हिन्दी में उपलब्ध हैं, जिससे यह एक डिजिटल संपर्क भाषा बन चुकी है। सरकारी योजनाओं और सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने में हिन्दी एक प्रभावी माध्यम बन गई है।

आज हिन्दी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का उपयोग और प्रचार–प्रसार हो रहा है। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मॉरीशस, नेपाल, यूएसए, यूके, कनाडा और खाड़ी देशों में हिन्दी भाषी बड़ी संख्या में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भी अब हिन्दी को प्रमुख भाषा मान रही हैं। इससे हिन्दी का वैश्विक स्वरूप और भी मज़बूत हो रहा है।

विविधता में एकता कैसे बनी हुई है :

हिन्दी ने भारत के विभिन्न समुदायों, राज्यों और भाषाओं के लोगों को एक साझा मंच दिया है। जब कोई बिहारी मजदूर पंजाब जाता है, या कोई तमिल छात्र दिल्ली में पढ़ाई करता है, तो हिन्दी संवाद का माध्यम बनती है। राष्ट्रीय आपदाओं, आंदोलनों और कार्यक्रमों में हिन्दी एक राष्ट्रभाषा के रूप में भावना को जागृत करती है। यह कहना गलत न होगा कि हिन्दी भारतीय एकता की रीढ़ बन चुकी है।

भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इस विविधता को जोड़े रखने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जो सबको समझ में आए, सबको जोड़ सके। यह कार्य हिन्दी ने बखूबी निभाया है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। आज आवश्यकता है कि हम हिन्दी को केवल भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक मानें। हिन्दी के प्रचार–प्रसार और सम्मान में ही भारत की एकता और अखंडता की शक्ति निहित है।

सुनील कुमार
इंडियन बैंक,
किशनपोल शाखा
ग्राहक सेवा सहयोगी

हिंदी भाषा का राष्ट्रीय एकता में योगदान

हिंदी भाषा, भारत की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी भी है। राष्ट्रीय एकता की दिशा में हिंदी का योगदान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएँ, धर्म और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ हिंदी ने एकता के सूत्र में लोगों को बांधने का कार्य किया है।

हिंदी : एक सांस्कृतिक सेतु

भारत में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी वह भाषा है जो देश के सबसे बड़े हिस्से द्वारा समझी और बोली जाती है। यह भाषा भारतीय समाज के विभिन्न तबकों, समुदायों और क्षेत्रों के बीच संवाद और विचार–विमर्श का सशक्त माध्यम है। हिंदी ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लोगों को एक मंच पर लाकर एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे सरकारी स्तर पर हो या दैनिक जीवन में, हिंदी ने लोगों को एकजुट करने का कार्य किया है।

स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का योगदान

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को जन–जन तक पहुँचाने का प्रयास किया, ताकि देश के हर कोने के लोग एक दूसरे से संवाद कर सकें और स्वतंत्रता के उद्देश्य को समझ सकें। हिंदी में लिखी गई कविताएँ, नारे, और भाषणों ने स्वतंत्रता सेनानियों में जोश और एकता की भावना भरी। 'वंदे मातरम्' और 'इंकलाब जिंदाबाद' जैसे नारों ने राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनकर हिंदी को और भी सशक्त बनाया।

भारतीय संविधान और हिंदी

भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया था कि एक भाषा के माध्यम से पूरे देश को एक सांस्कृतिक और सामाजिक धागे में पिरोया जा सके। यद्यपि देश में कई अन्य भाषाओं को भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, फिर भी हिंदी एक ऐसी भाषा बनी रही जो देश के अधिकांश हिस्सों में संपर्क और संवाद का प्रमुख माध्यम है। यह सरकारी कामकाज, शिक्षा और संचार में एकता का प्रतीक बनकर उभरी है।

हिंदी सिनेमा और मीडिया में एकता का योगदान

हिंदी सिनेमा और मीडिया ने भी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों ने भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया है। चाहे वह देशभक्ति से संबंधित फिल्में हों या समाज की समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम, इन सभी ने समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को एक साथ लाने का कार्य किया है। हिंदी मीडिया ने भी राष्ट्रीय मुद्दों को जनता तक पहुँचाने और उनके प्रति एकता का भाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय एकता में हिंदी का भविष्य

आज के वैश्विक युग में, जबकि अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ प्रचलित हो रही हैं, हिंदी का महत्व अभी भी बना हुआ है। भारत में हिंदी की लोकप्रियता न केवल भारत तक सीमित है, बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीयों के बीच भी हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है। हिंदी का साहित्य, संगीत और सिनेमा भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। इसके अलावा, डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के दौर में हिंदी ने अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ किया है।

निष्कर्ष

हिंदी भाषा ने भारत के राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाने में एक अनमोल योगदान दिया है। इसने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को संवाद और विचार–विमर्श के एक समान मंच पर लाकर, एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि यह भारत की आत्मा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। जब तक हिंदी जीवित रहेगी, तब तक भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रहेगी।

मनीष बाटली
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर

साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी

परिचय

21वीं सदी में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। डिजिटल युग में इंटरनेट का प्रयोग न केवल संचार और सूचना के आदान–प्रदान के लिए हो रहा है, बल्कि व्यापार, वित्तीय लेन–देन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए भी किया जा रहा है। जैसे–जैसे हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे–वैसे साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं।

साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी डेटा को अनधिकृत पहुंच, हैकिंग, साइबर हमलों, और धोखाधड़ी से बचाना है। दूसरी ओर, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) का उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाना होता है। इस प्रकार, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा से सीधा संबंधित है।

साइबर सुरक्षा का महत्व

साइबर सुरक्षा का सीधा संबंध इंटरनेट और तकनीकी दुनिया की सुरक्षा से है। वर्तमान में, सभी प्रमुख सेवाएँ और गतिविधियाँ इंटरनेट पर निर्भर हैं, चाहे वह बैंकिंग हो, व्यवसायिक लेन–देन हो, सरकारी सेवाएँ हो या व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन। यदि इन सेवाओं में साइबर सुरक्षा का अभाव होता है, तो न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। साइबर सुरक्षा के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं : गोपनीयता (Confidentiality), अखंडता (Integrity), और उपलब्धता (Availability)। इन तीनों का उद्देश्य डेटा को सुरक्षित रखना और इसे हैकर्स, साइबर अपराधियों, या अन्य अनधिकृत तत्वों से बचाना है।

- **गोपनीयता (Confidentiality)** : यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति या संगठन ही संवेदनशील डेटा तक पहुँच सकते हैं।
- **अखंडता (Integrity)** : यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को किसी भी प्रकार से संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- **उपलब्धता (Availability)** : यह सुनिश्चित करता है कि डेटा और सिस्टम हमेशा उपलब्ध रहें, ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी बाधा के उनका उपयोग कर सकें।

साइबर सुरक्षा के खतरे

साइबर सुरक्षा के प्रमुख खतरों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. **मैलवेयर (Malware)** : यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुँचाने या डेटा चुराने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, आदि शामिल होते हैं।
2. **फिशिंग (Phishing)** : फिशिंग साइबर अपराध का एक प्रमुख प्रकार है, जिसमें धोखाधड़ी से लोगों को उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए बहलाया जाता है। आमतौर पर यह नकली ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से किया जाता है।
3. **डीडॉस (DDoS) अटैक** : डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक में हैकर्स किसी वेबसाइट या सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रयास करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता उसे एक्सेस नहीं कर पाते।
4. **रैंसमवेयर (Ransomware)** : इस प्रकार के साइबर अटैक में, अपराधी सिस्टम में घुसपैठ करके डेटा को लॉक कर देते हैं और उसे फिर से उपलब्ध कराने के लिए फिरौती की मांग करते हैं।

5. **सोशल इंजीनियरिंग** : इस प्रकार के हमले में हैकर्स लोगों को मानसिक रूप से भ्रमित करते हैं ताकि वे उन्हें अपनी गोपनीय जानकारी दें। यह फिशिंग, प्रीटेक्स्टिंग, और बैटिंग के रूप में सामने आ सकता है।

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसमें साइबर अपराधी इंटरनेट के माध्यम से लोगों या संस्थाओं को आर्थिक नुकसान पहुँचाते हैं। यह धोखाधड़ी कई रूपों में होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, डिजिटल वॉलेट फ्रॉड, फिशिंग, और अन्य प्रकार के वित्तीय अपराध। इन अपराधों के लिए अपराधी संवेदनशील जानकारी चुराकर, धोखाधड़ी से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में हेरफेर कर, या पीड़ितों को वित्तीय रूप से धोखा देकर उन्हें ठगते हैं।

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकार

1. **क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी** : इस प्रकार की धोखाधड़ी में अपराधी किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए वे विभिन्न तरीकों से कार्ड की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि फिशिंग, स्किमिंग, या डेटा ब्रीच।
2. **फिशिंग और स्मिशिंग (Phishing and Smishing)** : जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, फिशिंग ईमेल या नकली वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने का प्रयास है। स्मिशिंग उसी प्रकार का हमला है, लेकिन यह मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाता है, जहाँ अपराधी संदेश भेजकर जानकारी चुराते हैं।
3. **आईडी चोरी (Identity Theft)** : इसमें अपराधी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसे वित्तीय रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। यह चोरी डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है, जिसमें अपराधी आपकी पहचान का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड खोलते हैं, ऋण लेते हैं, या अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं।
4. **डिजिटल वॉलेट फ्रॉड** : डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोनपे आदि का उपयोग करते समय कई बार अपराधी उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर उनकी जानकारी चुरा लेते हैं और उनका वॉलेट खाली कर देते हैं।
5. **ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी** : इस प्रकार की धोखाधड़ी में अपराधी किसी नकली निवेश योजना का प्रचार करते हैं और लोगों से पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। निवेश करने के बाद, वे पैसा लेकर फरार हो जाते हैं।

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं :

1. **मजबूत पासवर्ड का उपयोग** : हमेशा मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। पासवर्ड में विशेष अक्षर, अंक और बड़े अक्षरों का संयोजन होना चाहिए।
2. **टू–फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)** : ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के लिए हमेशा टू–फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। इससे आपके खाते की सुरक्षा बढ़ती है और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।
3. **संदिग्ध लिंक से सावधान रहें** : ईमेल, एसएमएस, या सोशल मीडिया पर भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें।
4. **सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें** : कभी भी सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क पर वित्तीय लेन–देन न करें। सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करें।
5. **नियमित रूप से खाते की जांच करें** : अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड खातों की नियमित रूप से जाँच करें। किसी भी असामान्य गतिविधि का तुरंत रिपोर्ट करें।
6. **एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग** : अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करें और इसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें।

साइबर सुरक्षा और सरकारी पहल

भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In), नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, और डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रही है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया पहल के तहत भी साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, ताकि देशभर में डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित तरीके से पहुँचाया जा सके।

साइबर सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न देशों ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संगठनों और संधियों के माध्यम से देशों के बीच साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ रहा है। बुडापेस्ट कन्वेंशन और यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी जैसी संधियाँ साइबर अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

निष्कर्ष

साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसे–जैसे इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे–वैसे साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए, व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी से बचाव के उपाय अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

निकिता चावला
प्रबन्धक
इण्डियन ओवरसीज बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

मंजिल की तलाश

ये तम हमें डराता है, रात की गहराइयों से झांखकर
ये ग़म हमे सताता है, छाती में सांसों सा हांफकर।
हम घर से कुछ दूर ही चले थे मंजिल की तलाश में
छोटे–छोटे कदमों से हजारों मिलो को नापकर।।
छोटी सी बांहों में खुशियों का समंदर समेटना था
तरसती निगाहों में सुखों का मंजर सहेजना था
चाहत तो ये थी कि सब कुछ हमारा हो
पर सच में चिरागों में पत्थर कुरेदना था।।
बड़ी मुश्किल से मिलती है सफलता की कुंजी
किस्मत में राहत और अमरता की पूंजी।
ताश के पत्तों सी बिखरी जाती है जिंदगी
तब जाकर मिलती है मेहनत की पूंजी।।
सुकून तभी मिलता है जब मंजिल हमें मिल जाती है,
जिंदगी इसके इंतजार में सांझ सी ढल जाती है।
त्याग एवं समर्पण के साझा प्रयास से ही,
देर से ही सही पर, मंजिल हमें मिल जाती है।।

रविन्द्र सिंह
यूनियन बैंक

समाज के अनदेखे विधायिका

पर्सी बिश शेली के विचारों पर एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

साहित्य और समाज के संबंधों पर विचार करते समय पर्सी बिश शेली का यह प्रसिद्ध कथन "Poets are the unacknowledged legislators of the world" एक गहन सत्य को उजागर करता है। यह कथन केवल कविता की शक्ति को नहीं दर्शाता, बल्कि यह उस सामाजिक भूमिका को रेखांकित करता है जो कवि निभाते हैं– एक ऐसी भूमिका जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसका प्रभाव अत्यंत व्यापक और स्थायी होता है।

कवि समाज के भीतर चल रहे सूक्ष्म आंदोलनों को पहचानते हैं और उन्हें शब्दों में ढालते हैं। वे उन भावनाओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को स्वर देते हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था अनदेखा कर देती है। कविता के माध्यम से वे न केवल संवेदना जगाते हैं, बल्कि विचारों की दिशा भी तय करते हैं।

कविता का प्रभाव कानूनों की तरह प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन वह समाज की मानसिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक कवि का शब्द, भले ही संसद में न गूंजे, लेकिन वह जनमानस में गूंजता है– और यही उसे अनदेखा विधायिका बनाता है। इतिहास गवाह है कि कवियों ने समय–समय पर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को दिशा दी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। रामधारी सिंह 'दिनकर' की ओजस्वी कविताएँ, मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रभक्ति, और महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता ने जनमानस को आंदोलित किया।

इसी प्रकार, विश्व साहित्य में भी कवियों ने सामाजिक चेतना को जागृत किया है। चाहे वह रूस के अलेक्ज़ेंडर पुश्किन हों, अमेरिका के वॉल्ट व्हिटमैन, या अफ्रीका के वोल शोयिंका। इन सभी ने अपने समय की सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया और एक नई सोच को जन्म दिया। कविता में वह शक्ति है जो बिना शोर किए, समाज की जड़ों को हिला सकती है। जब कोई कवि अन्याय, भेदभाव या असमानता के विरुद्ध लिखता है, तो वह केवल विरोध नहीं करता– वह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण धीरे–धीरे समाज की सोच को प्रभावित करता है और परिवर्तन की नींव रखता है।

कविता का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। वह पीढ़ियों तक जीवित रहती है, और समय के साथ नए अर्थ ग्रहण करती है। यही कारण है कि कवि की भूमिका केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी होती है। आज के डिजिटल युग में भी कविता की प्रासंगिकता बनी हुई है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और ऑनलाइन पत्रिकाओं के माध्यम से कवि अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वे पर्यावरण, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर लिखकर जनचेतना को जागृत कर रहे हैं।

कविता अब केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही, वह जनसंवाद का सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि कवि आज भी समाज के अनदेखे विधायिका हैं– विचारों के निर्माता, संवेदनाओं के वाहक और परिवर्तन के प्रेरक। पर्सी बिश शेली का यह कथन एक अमूल्य सत्य को उजागर करता है– कवि वे नेता हैं जो सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि विचारों की दुनिया में शासन करते हैं। वे समाज को केवल आईना नहीं दिखाते, बल्कि उसे बेहतर बनाने की राह भी सुझाते हैं। उनकी रचनाएँ कानून नहीं बनातीं, लेकिन वे कानूनों की दिशा तय करने वाले विचारों को जन्म देती हैं।

इसलिए, कवि को केवल साहित्यकार नहीं, बल्कि समाज का विचारशील विधायिका मानना चाहिए– एक ऐसा विधायिका जो मौन है, लेकिन प्रभावशाली; अनदेखा है, लेकिन अपरिहार्य।

निवेदिता तिवारी,
सहायक प्रबन्धक
नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
जयपुर

झील के किनारे की बेंच

हर शाम राकेश शहर की सीमा पर स्थित शांत झील की ओर पैदल जाता था। दुनिया इन दिनों बहुत शोरगुल भरी लगने लगी थी– उसकी नौकरी गलत लगती थी, उसका रिश्ता डगमगाता हुआ, और उसका भविष्य अनिश्चित। लेकिन झील कम से कम शांत थी। एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी, जो एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे थी, जहाँ वह बैठता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वह बेंच सिर्फ उसकी नहीं रही थी। एक बूढ़ा आदमी, जो गर्मियों में भी एक घिसा हुआ भूरा स्वेटर पहने रहता, हमेशा उससे पहले वहाँ होता, और पानी को ऐसे देखता जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो।

वे कभी बात नहीं करते थे। जब तक कि एक शाम राकेश थककर बेंच पर बैठा और कराह उठा, तब बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा, "कंधे भारी लग रहे हैं, बेटे?"

राकेश थोड़ी देर रुका, फिर हल्के से हँसा। "ऐसा कह सकते हैं।"

बिना मुड़े, उस आदमी ने जवाब दिया, "अपना रास्ता चुनने में ज्यादा देर मत करना। बहुत देर तक एक ही जगह खड़े रहना, गलत दिशा में चलने से भी ज्यादा डुबो सकता है।"

उस रात, वे बातें करने लगे।

बूढ़े आदमी का नाम हरिराम था। कभी स्कूल शिक्षक थे, कभी पिता। उनका बेटा उन्हें छोड़ गया था– पहले भावनात्मक रूप से, फिर शारीरिक रूप से। विदेश चला गया। फिर कभी फोन नहीं किया। "मैंने उसे ईमानदारी से पाला," हरिराम ने शांत स्वर में कहा। "लेकिन कहीं न कहीं, सफलता की फुसफुसाहट प्यार से ज्यादा तेज़ हो गई।"

अगले कुछ हफ्तों में, राकेश ने अपनी परेशानियाँ साझा कीं : एक कॉर्पोरेट नौकरी जो उसे थका देती थी, और एक छोटा बुक कैफ़े खोलने का सपना जिसे सबने मूर्खता कहा। "अगर मैं असफल हो गया तो?" एक शाम उसने पूछा।

हरिराम ने उसे थकी लेकिन दयालु आँखों से देखा। "तो कम से कम असफलता तुम्हारी अपनी होगी, किसी और की सफलता की परिभाषा नहीं।"

ये शब्द राकेश के भीतर गहराई तक उतर गए।

एक हफ्ते बाद, हरिराम नहीं आए।

फिर अगले हफ्ते भी नहीं।

राकेश ने लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास नाम या पता नहीं था। बस इतना पता था कि वे आते थे, बैठते थे, और चले जाते थे। लेकिन हरिराम के शब्द रह गए। एक महीने बाद, राकेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और झील के किनारे एक कैफ़े शुरू किया। उसने उसका नाम रखा "गुलमोहर बेंच।"

वहाँ किताबें थीं, कॉफ़ी थी, और दीवार पर एक लकड़ी की पट्टी :

"उस अजनबी के नाम, जिसने मुझे मेरा रास्ता दिखाया।"

कभी–कभी, राकेश को लगता कि वह अब भी उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी की परछाईं देख सकता है, जो झील की ओर मुस्कुरा रहा हो।

मोहित जोनवाल
विकास सहायक
नाबार्ड,
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

हिंदी - राष्ट्र की शान

हिंदी है रणभूमि की शान,
वीरों का है इससे गुमान।
जब सीमा पर स्वर गरजते,
हिंदी में ही भाव बरसते।

हर आदेश में तेज समाया,
हर संवाद में बल छाया।
हिंदी से ही मन बल पाता,
राष्ट्रभक्ति का दीप जलाता।

गाँव की मिट्टी बोले जब,
हिंदी में हो हर सेवा सब।
किसान समझे ब्याज की बात,
तो बढ़े विकास की सौगात।

बीजों में जब आशा बोई,
हिंदी ने ही राह संजोई।
खेतों में जब हरियाली छाए,
तो भाषा भी मुस्कान लाए।

झुर्रियों में जब आशा हो,
हिंदी में जब भाषा हो।
सेवा सरल, सम्मान भरा,
जीवन में उजियारा तरा।

हिंदी है प्रकाश स्तंभ समान,
जो दिखाए आत्मबल की जान।
जहाँ यह बोले, वहाँ उजास,
हर दिल में भारत का प्रकाश।

अमित यादव
विकास सहायक,
नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
जयपुर

माँ

ममता की सागर है मां,
करुणा की सागर है मां
दिल की भोली होती मां,
सब पे ममता बरसाती मां

भाग्यशाली हैं वे लोग,
जिनके घर में होती मां
अपने को भूखी रखकर,
बच्चों को खिलाती मां

कदम–2 मिलाकर चलती,
सुख–दुख में मुस्काती मां
बच्चों की इच्छा पूरी करती,
कठिन परिश्रम कर जाती मां

बच्चे हैं यह क्यों भूल जाते,
थके होने पर खाना बनाती मां
संघर्ष की वह उदाहरण,
मंदिर की है मूरत मां

बोलना, चलना, पढ़ना, सिखाती,
जीवन का भेद बताती मां
तेरा ही तो अंश हूं,
तू ही जीवन दाता मां

मां नहीं तो दुनिया नहीं,
सृष्टि का निर्माता मां
सब लोग यह कहते हैं,
जग की जननी होती मां

दीपक मीणा
नाबार्ड
राजस्थान रीजनल ऑफिस

औषधीय पौधे और उनके गुण

प्राचीन काल से ही मनुष्य विभिन्न औषधीय पौधों का विभिन्न रूपों में खाने से लेकर विभिन्न बीमारियो और स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोग करता आया है। इन पौधों में प्राप्त विभिन्न प्राकृतिक योगिक एंटी–इन्फ़्लेमेटरी; एंटी– माइक्रोबियल; एंटी–ऑक्सीडेंट और कई अन्य प्रकार के चिकित्सीय गुण प्रदान करते हैं। यहाँ हम अपने दैनिक जीवन में और लगभग रोजाना अपनी रसोई में इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधों के लाभकारी गुण का उल्लेख कर रहे हैं–

1) **तुलसी** – तुलसी को औषधीय पौधों की रानी माना जाता है। साधारण सर्दी; खांसी, बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज मे उपयोगी है। इसकी पत्तियों से निकलने वाली विशिष्ट सुगंध नसों को शांत कर सकती है और साथ ही चिंता को कम करने में मदद भी करती है। तुलसी के पौधे के आस–पास ऑक्सीज़न की प्रचुरता बनी रहती है। तुलसी के बीज में मौजूद फाइबर; आवश्यक फैटी एसिड; एंटी–ऑक्सीडेंट; आइरन और मैग्निशियम जैसे तत्व वजन को कम करने से लेकर कब्ज तक में फायदेमंद हैं ।

2) **अदरक** – अदरक में एंटी– ऑक्सीडेंट और एंटी–इन्फ़्लेमेटरी गुण पाये जाते हैं। इसके उपयोग से पाचन में सुधार होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी खांसी में राहत मिलती है। इसमें जिंजरोल नमक एक योगिक पाया जाता है जिसमें एंटी–इन्फ़्लेमेटरी गुण पाये जाते हैं जो जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, मानसिक स्वस्थ्य में सुधार करता है और वजन घटाने मे सहायक है।

3) **हल्दी** – हल्दी मे करक्यूमिन नमक एक एंटी– ऑक्सीडेंट पाया जाता है यह सूजन को कम करने, जोड़ों के दर्द को दूर करने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। हल्दी में एंटी–इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियोप्रोटेक्टिव, हेपेटोप्रोटेक्टिव, और नेफ्रोप्रोटेक्टिव गुण भी होते हैं। हल्दी का उपयोग त्वचा को निखारने और मुंहासों को ठीक करने, गठिया, पाचन संबंधी समस्याओं, त्वचा की स्थिति, हृदय रोग, और मधुमेह जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है।

4) **पुदीना** – आयुर्वेद के अनुसार, पुदीना (Dried Mint) कफ और वात दोष को कम करता है, भूख बढ़ाता है। पुदीना में पाचन एंजाइम होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पुदीना में मौजूद मैग्नीशियम सिरदर्द और माइग्रेन को दूर करने में असरदार हैं । यह मतली को कम करने, सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। । इसके अलावा, पुदीना त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

5) **मेथी**– मेथी के दानों को आयुर्वेद में जड़ी बूटी माना गया है। मेथी मोटापे से लेकर अस्थमा जैसी कई समस्याओं में आराम पहुंचाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेथी का अर्क शरीर की चर्बी को कम करता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों को ताकतवर बनाने के साथ स्टेमिना को भी दुरुस्त रखता है। मेथी दाना खाने से शुगर का स्तर भी काफी हद तक नियंत्रित रहता है।

6) **लहसुन** – आयुर्वेद में लहसुन को महौषधि और महारसोन कहा जाता है। लहसुन की छोटी–छोटी सफेद कलियों में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं, जिसके सेवन से पेट से लेकर कई अंग हेल्दी रहते हैं और अपना काम सही तरीके से करते हैं। लहसुन को सेहत के लिए अमृत समान माना गया है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, लहसुन में कई ऐसे गुण होते हैं, जो आपको सर्दियों में होने वाले सर्दी–जुकाम, फ्लू से बचाते हैं। प्रतिदिन कच्चे लहसुन का सेवन करने से सर्दी और फ्लू होने की संभावना 63 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इसके अन्य फ़ायदों में कोलेस्ट्रॉल कम करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, और शरीर को संक्रमण से बचाना शामिल है।

7) **दालचीनी**– दालचीनी एक लोकप्रिय मसाला है जिसमें एंटीऑक्सिडेंट भरपूर है जो शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसमें सूजनरोधी और रोगाणुरोधी गुण भी पाये जाते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने व संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके और रक्त शर्करा के स्तर को कम करके मधुमेह वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। यह दालचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम करने और अच्छे

कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) को बढ़ाने में मदद करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। इसमें पाये जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट मस्तिष्क कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करके याददाश्त में सुधार कर सकते हैं।

8) लौंग– आयुर्वेदिक ग्रंथों में लौंग के इस्तेमाल से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। लौंग के सेवन से भूख बढ़ती है, उल्टी रुकती है, पेट की गैस, अत्यधित प्यास लगने की समस्या और कफ–पित्त दोष ठीक होते हैं।यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी–इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। लौंग का उपयोग पाचन में सुधार, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, संक्रमण से लड़ने, और दांतों के दर्द से राहत पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लौंग में कैंसर–रोधी गुण भी पाए जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं की हमारी रसोई मे बहुत सारी औषधीय गुण वाली सामग्री मौजूद है और हमारे परंपरिक पकवानो मे इन मशालों का उपयोग इन्हीं गुणों के कारण किया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बीमारियो और स्वास्थ्य समस्याओं में इन औषधीय पौधों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए क्योकि कतिपय परिस्थितियों मे इनके अपने खराब असर हो सकते हैं इसलिए इनके उपयोग से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। **आयर्वेदिक चिकित्सक राबिन शर्मा** अपने परामर्श में हमेशा कहते हैं की" अपने खाने के गुणों को पहचानो जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का प्रकृतिक रूप से समाधान कर देंगी"।

नेमी चंद मीना
कार्यवाहक हिन्दी अधिकारी
दि ओरिएंटल इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड

मां का आशीष

उसने बटुआ निकाला उस नोट को एक बार फिर आगे पीछे से देखने लगा, उसका मन अचानक अतीत की तरफ गोता लगा गया, कई दिनों से बूढ़ी मां बीमार चल रही थी और एक दिन वह लगभग बेहोश सी हो गई, उसे लगा मां आज मुश्किल ही बचे, जैसे तैसे खुद को संभाल वह उसे अस्पताल लेकर गया, डाक्टर को देखते ही वह दौड़ा और उसके पांव पकड़कर एक ही गुहार लगाने लगा, 'डाक्टर साहब कुछ भी करके मेरी मां को बचा लो' डाक्टर उसे तसल्ली देकर मां को देखने लग गया, उस पर ईश्वर की कृपा ही रही होगी, मां न केवल अस्पताल से लौट आई बल्कि धीरे–धीरे उसकी सेवा से खुद ही अपना काम करने लग गई, आज सुबह तो उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपने पल्लू की गांठ से पांच सौ का नोट निकालकर उसे दिया, सुबह से कितनी बार उस नोट को देखकर वो निहाल सा हुआ जा रहा है, इसे खर्च कैसे करे वो समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि ये पांच सौ का नोट खुद की लाखों की कमाई पर भी भारी है, सोचते हुए वो आखिर निर्णय पर पहुंच ही गया मां का आशीष वो आशीष रुप में ही किसी को देगा और नोट बटुए की सबसे भीतरी तह में रख दिया।

सन्नी डांगी चौधरी

डिजिटल ऋण : जोखिम एवं विनियामक आवश्यकताएँ

जैसा कि हम सभी जानते है आज का युग डिजिटल का युग है। आज का कोई भी वर्ग हो डिजिटकीकरण से अछूता नहीं है। डिजिटल काम हो, बैठक आयोजित करनी हो या कुछ भी। यहाँ तक भी अब तो बैंकिंग भी अधिकतर डिजिटल हो चुकी है। जहां जिस कार्य के लिए हमें पहले बैंक जाना पड़ता था अब वह कार्य सब डिजिटल पर आ गया है चाहे वह खाता खुलवाना हो, किसी नई योजना की जानकारी लेनी हो, या किसी योजना का लाभ लेना हो। यहाँ तक कि हमें किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो वह भी अब हम ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल रूप में ले सकते हैं, जिसे हम डिजिटल ऋण के बारे में जानते हैं। डिजिटल ऋण का अभिप्राय है कि मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लेने वाले ऋण से हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत के डिजिटल ऋण बाज़ार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बैंकों ने डिजिटल ऋण बाज़ार में नए अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिये अपने स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।

डिजिटल ऋण का महत्त्व

वित्तीय समावेशन : यह भारत में लघु उद्योग और कम आय वाले उपभोक्ताओं की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।

अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कमी : उधार लेने की प्रकिया को सरल और सुगम बनाकर यह अनौपचारिक क्षेत्र से लिये जाने वाले ऋण को कम करने में मदद करता है। चूँकि परिवार, दोस्तों और साहूकारों से ऋण प्राप्त करना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक होता है, इसलिये भारत में ऋण का यह माध्यम काफी प्रचलित है, हालाँकि इसमें कई बार अधिक अनुचित ब्याज़ दर चुकानी पड़ती है।

कम समय : यह बैंकों में जाकर पारंपरिक माध्यम से ऋण लेने में लगने वाले समय को कम करता है। इसके कारण 30–35 प्रतिशत अतिरिक्त लागत को बचाया जा सकता है।

डिजिटल युग में जोखिम का उदय या समस्याएँ–

हाल के वर्षों में, नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उद्भव और डेटा एनालिटिक्स के बढ़ते उपयोग के साथ, असुरक्षित ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। डिजिटल युग में असुरक्षित ऋण देने के प्राथमिक चालकों में से एक सुविधा और गति है जो डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं। ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म उधारकर्ताओं को बैंक या वित्तीय संस्थान का दौरा किए बिना, अपने घर से ही ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, ये प्लेटफ़ॉर्म अक्सर तेज़ अनुमोदन समय की पेशकश करते हैं, कुछ ऋण कुछ ही घंटों में स्वीकृत और वितरित हो जाते हैं। असुरक्षित ऋण, या संपार्श्विक के बिना ऋण, ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफार्मों की सुविधा और पहुंच के कारण डिजिटल युग में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। जबकि असुरक्षित ऋण उन उधारकर्ताओं के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है जिन्हें धन तक त्वरित पहुंच की आवश्यकता होती है, इसके साथ संभावित जोखिम भी आते हैं। डिजिटल युग में असुरक्षित ऋण देने के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जोखिम यहां दिए गए हैं।

पहला : डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उधारकर्ताओं के लिए ऋण तक पहुंच आसान बना दी है। ऑनलाइन आवेदन के साथ, उधारकर्ता अपने घर से आराम से ऋण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे उन लोगों के लिए ऋण लेना अधिक सुलभ हो गया है जो पहले भौगोलिक बाधाओं या पारंपरिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच की कमी के कारण ऋण प्राप्त करने में असमर्थ थे।

दूसरा : डेटा एनालिटिक्स के उपयोग ने ऋणदाताओं को अधिक सूचित ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाया है। क्रेडिट स्कोर, आय और रोजगार इतिहास जैसे डेटा का विश्लेषण करके, ऋणदाता उधारकर्ता की साख का आकलन कर सकते हैं और अधिक सटीक ऋण निर्णय ले सकते हैं। इससे डिफ़ॉल्ट दरों में कमी आई है और ऋण देना अधिक कुशल हो गया है।

तीसरा : ऋणदाताओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें कम हो गई हैं। अधिक विकल्प उपलब्ध होने से, उधारकर्ता सर्वोत्तम दरों और शर्तों के लिए खरीदारी कर सकते हैं, जिससे अधिक किफायती ऋण प्राप्त हो सकता है।

उच्च ब्याज दरें

असुरक्षित ऋण आम तौर पर सुरक्षित ऋण की तुलना में अधिक ब्याज दरों के साथ आते हैं, क्योंकि ऋणदाता संपार्श्विक के बिना धन उधार देकर अधिक जोखिम उठाते हैं। डिजिटल युग में, ऑनलाइन ऋणदाता ऐसी ब्याज दरों के साथ असुरक्षित ऋण की पेशकश कर सकते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी लगती हैं। उच्च ब्याज दरों और प्रतिकूल पुनर्भुगतान शर्तों वाले ऋण में फंसने से बचने के लिए, उधारकर्ताओं के लिए किसी भी असुरक्षित ऋण को स्वीकार करने से पहले उसके नियमों और शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।

छुपी हुई फीस

कई ऑनलाइन ऋणदाता छुपे हुए शुल्क लेते हैं जिनका खुलासा पहले नहीं किया जाता है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रस्तावों की तुलना करना और उधार लेने की सही लागत को समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ सामान्य छिपी हुई फीस में मूल शुल्क, पूर्व भुगतान जुर्माना और देर से भुगतान शुल्क शामिल हैं। उधारकर्ताओं को किसी भी ऋण प्रस्ताव की बारीकियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यदि वे किसी शुल्क या शुल्क के बारे में अनिश्चित हैं तो प्रश्न पूछना चाहिए।

चोरी की पहचान

असुरक्षित ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उधारकर्ताओं को अपना नाम, पता और सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी ऋणदाता की वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, तो यह जानकारी हैकर्स द्वारा चुराई जा सकती है और पहचान की चोरी के लिए उपयोग की जा सकती है। उधारकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस भी ऑनलाइन ऋणदाता के साथ काम करते हैं उसकी एक सुरक्षित वेबसाइट है और वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करते हैं।

घोटाले

डिजिटल युग ने घोटालेबाजों के लिए बिना सोचे–समझे उधारकर्ताओं से लाभ उठाना भी आसान बना दिया है। कुछ घोटालेबाज खुद को वैध ऋणदाता बताते हैं और आकर्षक शर्तों और कम ब्याज दरों के साथ असुरक्षित ऋण की पेशकश करते हैं, लेकिन उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी या अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद वे गायब हो जाते हैं। ऋण घोटाले का शिकार होने से बचने के लिए उधारकर्ताओं को हमेशा अपना उचित परिश्रम करना चाहिए और जिस भी ऋणदाता के साथ वे काम करने की योजना बनाते हैं उस पर शोध करना चाहिए।

ऋण पर अत्यधिक निर्भरता

असुरक्षित ऋण वित्तीय आपात स्थितियों के लिए त्वरित समाधान हो सकता है, लेकिन ऋण पर बहुत अधिक निर्भर रहने से दीर्घकालिक वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। डिजिटल युग में, असुरक्षित ऋण के लिए स्वीकृत होना पहले से कहीं अधिक आसान है, लेकिन उधारकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास ऋण चुकाने की योजना हो और बहुत अधिक ऋण जमा करने से बचें।

हालाँकि, ये संभावित जोखिम डिजिटल युग में असुरक्षित ऋण देने के नए अवसर भी पैदा करते हैं। हम एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में आपकी और आपके व्यवसाय की सफलता में मदद करने के लिए यहां हैं।

डिजिटल ऋण के जोखिम से बचने के लिए समय– समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं और साथ ही हमें भी ध्यान रखना होता है जैसे–

- गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और बैंकों को रिज़र्व बैंक के समक्ष उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताना होगा, जिनके साथ वे कार्य कर रहे हैं।

- नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक अथवा संस्था के साथ काम करने वाले डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को ग्राहकों हेतु उस बैंक या NBFC के नाम का खुलासा करना चाहिये।
- ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को ऋण समझौते के निष्पादन से पूर्व संबंधित बैंक/NBFC के लैटरहेड पर उधारकर्त्ता को एक स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।
- नियम के अनुसार, रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और अन्य संस्थान, जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये जाते हों, द्वारा ही वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधि शुरू की जा सकती है।
- यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक डिजिटल ऋण क्रांति के कगार पर खड़ा है और इस क्रांति को सफल बनाने के लिये यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऋण व्यवस्थित और वैध तरीके से प्रदान किया जाए।
- चूँकि इस प्रक्रिया में कई लोगों की पहुँच उपभोक्ताओं के संवेदनशील डेटा तक होती है, इसीलिये इस संबंध कानून बनाया जाना काफी आवश्यक है। उदाहरण के लिये कानून के माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा किस प्रकार का डेटा एकत्रित किया जाएगा और उस डेटा का उपयोग किस कार्य के लिये किया जाएगा।
- डिजिटल ऋणदाताओं को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली आचार संहिता का विकास करना चाहिये और उसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिये।
- इस संबंध में एक एजेंसी बनाई जा सकती है, जो कि सभी डिजिटल ऋण समझौतों और उपभोक्ता/ऋणदाता क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक करने में सक्षम होगी।
- तकनीकी स्तर पर सुरक्षा उपायों के अलावा डिजिटल ऋण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये उपभोक्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है।

डिजिटल युग ने वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और असुरक्षित ऋण कोई अपवाद नहीं है। असुरक्षित ऋण, जो संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं हैं, परंपरागत रूप से गारंटी की अनुपस्थिति के कारण ऋणदाताओं के लिए उच्च जोखिम से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, असुरक्षित ऋण अधिक सुलभ, कुशल और सुरक्षित हो गया है। कुल मिलाकर, वैश्विक असुरक्षित ऋण उद्योग के बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अधिक उपभोक्ता पारंपरिक बैंकों के बाहर वैकल्पिक ऋण विकल्पों की ओर रुख करेंगे।

निष्कर्षतः डिजिटल युग में असुरक्षित ऋण का भविष्य जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उदय ने ऋण को अधिक सुलभ और कुशल बना दिया है, इसने धोखाधड़ी और शिकारी ऋण प्रथाओं के जोखिम को भी बढ़ा दिया है। हालाँकि, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के उपयोग से, ऋणदाता अधिक परिष्कृत ऋण मॉडल विकसित कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम कर सकते हैं और उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, असुरक्षित ऋण के बढ़ने से नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का विकास हुआ है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं की अनूठी जरूरतों को पूरा किया गया है। जैसे–जैसे वित्तीय उद्योग विकसित हो रहा है, उधारदाताओं के लिए नवाचार और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

राजू राम जाखड़
मुख्य प्रबन्धक
पंजाब नैशनल बैंक मंडल कार्यालय
जयपुर–अजमेर

राजस्थान का केदारनाथ

सीकर का हर्ष पर्वत, जिसे "राजस्थान का केदारनाथ" भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। इस पर भगवान शिव और भैरवनाथ के प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। 10वीं शताब्दी में चौहान राजा सिंहराज ने हर्षनाथ मंदिर की स्थापना की थी। 1679 ई. में, मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। यह सीकर जिले के लगभग 14 किमी दक्षिण पश्चिम में एक प्राचीन, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। हर्ष पर्वत धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, खासकर शिवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हर्ष पर्वत अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है, और यहां से सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर होता है।

हर्ष पर्वत का इतिहास :

शेखावाटी के हृदय स्थल सीकर का हर्ष पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। यह पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध, सुरम्य एवं रमणीक प्राकृतिक स्थल है। हर्ष पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3100 फीट है जो राजस्थान के सर्वोच्च स्थान आबू पर्वत से कुछ कम है। यह राजस्थान में माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ऊँचा स्थल माना जाता है। इस पर्वत का नाम हर्ष एक पौराणिक घटना के कारण पड़ा। उल्लेखनीय है कि दुर्दान्त राक्षसों ने स्वर्ग से इन्द्र व अन्य देवताओं का बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव ने इस पर्वत पर इन राक्षसों का संहार किया था। इससे देवताओं में अपार हर्ष हुआ और उन्होंने भगवान शंकर की आराधना व स्तुति की। इस प्रकार इस पहाड़ को हर्ष पर्वत एवं भगवान शंकर को हर्षनाथ कहा जाने लगा। एक पौराणिक दन्त कथा के अनुसार हर्ष को जीणमाता का भाई माना गया है।

स्थापना :

यह मंदिर 10वीं सदी में, संवत् 1030 (973 ई.) में शिव साधु भावरक्त द्वारा चव्हाण राजा विग्रहराज के शासनकाल में बनवाया गया था । यहाँ के प्रमुख शिलालेख की भाषा संस्कृत और देवनागरी लिपि में है, जिनकी खोज 19वीं सदी में हुई थी।

मंदिर :

मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। शिलालेखों से पता चलता है कि यहां 84 मंदिर थे। 1679 ई. में, मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर, मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। 1718 ई. में चौहाण राजा शिवसिंह ने खंडहरों से एक नया मंदिर बनवाया। मंदिर परिसर में शिवलिंग, पंचमुखी शिव प्रतिमा, पार्वती, गणेश, विष्णु, भैरव आदि की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। कई कलात्मक शिल्प, स्तंभ, तोरण आदि आसपास बिखरे पाए जाते हैं। यहाँ से प्राप्त मूर्तियां अजमेर, जयपुर और अन्य संग्रहालयों में संरक्षित हैं। मंदिर के अवशेषों को संरक्षित करने और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए गए हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य और सुविधाएँ

पहाड़ी–श्रेणी के बीच बेहद मनोरम दृश्य, ट्रेकिंग के लिए उपयुक्त पगडंडी, और प्राकृतिक वनस्पति वनौषधियाँ (जैसे अरडूसा, बांस, सफेद मुसली आदि) भी पायी जाती हैं। हर्ष पर्वत पर पवन चक्कियां भी लगाई गई हैं, जो बिजली उत्पन्न करती हैं। आसपास पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए बिजली परियोजना (7.2 MW की फसल) स्थापित है। आज हर्ष पर्वत एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है।

यात्रा और सुविधाएँ

कैसे पहुँचें : सड़क मार्ग द्वारा सीकर से निजी वाहन, टैक्सी या बस से। ट्रेकिंग के लिए पैदल मार्ग उपलब्ध है। मानसून और सर्दियों में दृश्य और मौसम बेहतरीन रहते हैं। यहाँ शिवरात्रि और सोमव्रत के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या अधिक होती है। यहाँ सरकार द्वारा रोप वे परियोजना का प्रस्ताव भी है, जिससे आने जाने की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ ममता मीणा
प्रबन्धक राजभाषा
पंजाब नैशनल बैंक
मंडल कार्यालय जयपुर–अजमेर

ग्राहक सेवा की प्रासंगिकता

ग्राहक शब्द का तात्पर्य ग्रहण करने, लेने वाला है। एक अन्य शब्द 'ग्राह्य' का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करने, 'लेने योग्य' से है। स्पष्ट है कि ग्राहक वही वस्तु अथवा सेवा लेगा जो ग्राह्य हो, लेने योग्य हो। हम कोई भी अनुपयोगी वस्तु अथवा सेवा बिना आवश्यकता के किसी ग्राहक को नहीं बेच सकते। यदि ऐसा करने में हम किसी प्रकार सफल हो भी गए तो यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ग्राहक सेवा को वाणिज्य अथवा प्रबंधन की तकनीकी भाषा के चश्मे से न देखते हुए सरल सामान्य ग्राहक की बोलचाल की भाषा व उसकी समझ के स्तर से देखना होगा।

आदिकाल में 'बार्टर सिस्टम' वस्तु विनिमय प्रणाली के युग में ग्राहक सेवा जैसे शब्द की कल्पना तक नहीं रही होगी क्योंकि उस समय किसी वस्तु के सीमित विक्रेता होते थे जो दूरदराज से माल–असबाब लाकर जरूरतमंदों को बेच देते थे। ऐसे में कोई स्थायी क्रेता–विक्रेता सम्बन्ध नहीं थे। स्थायी दुकान नहीं थी, खुले बाजार में फेरी लगाकर चीज बेच दी जाती थी। एक प्रकार से वह एकाधिकारी युग था किंतु समय के साथ वस्तुओं, सेवाओं के वृहद् स्तर पर उत्पादन व उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग होने लगा। व्यापार में एकाधिकार का स्थान पूर्ण प्रतियोगिता ने लिया व आज के दौर में पूर्ण प्रतियोगिता का स्थान गलाकाट प्रतियोगिता ने ले लिया। ऐसे में एक अत्यंत ही व्यापक शब्द 'ग्राहक सेवा' बहुत तेजी से प्रचलित हुआ। आज ग्राहक सेवा के मायने अनन्त हैं।

वस्तु/सेवा खरीदने से पूर्व ही नहीं खरीद के पश्चात् भी यह शब्द अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि यह आधुनिक प्रबंधन शिक्षा की देन है बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले कुछ कहावतें, मुहावरे गढ़ रखे थे जिन्हें कहीं न कहीं ग्राहक सेवा के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा सकता है। एक कहावत 'करो सेवा पाओ मेवा', इसका शब्दार्थ व भावार्थ स्पष्ट है। व्यवसाय के संदर्भ में भी इसकी प्रासंगिकता कही जा सकती है कि आप अपने ग्राहक की जितनी सेवा करेंगे उतना ही लाभार्जन करेंगे। यहां प्रश्न उठता है कि ग्राहक की सेवा किस प्रकार की जाए। हमें ग्राहक के हाथ–पांव नहीं दबाने हैं। कहावत के भावार्थ पर जाना है। यहां ग्राहक सेवा का तात्पर्य उसे पर्याप्त सम्मानजनक संबोधन देना, वस्तु, सेवा के बारे में सही–सही जानकारी देना, उसकी मांग के अनुसार राय देना व न्यूनतम मुनाफे पर इस आश्वासन के साथ बेचना कि यदि पसंद न आए, उपयोगी सिद्ध न हो, कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो वह दूर करवा दिया जाएगा अथवा ससम्मान उसे वापस भी कर लिया जाएगा।

वैसे भी आप अपने कार्य को सेवा समझकर करेंगे तो बोझ महसूस नहीं होगा, आपके प्रगाढ़ सम्बन्ध बनेंगे। इन सम्बन्धों की बुनियाद पर न जाने भविष्य में कौनसी इमारत खड़ी हो जाए। मैं एक शाखा में कभी निरीक्षण पर गया, मुझे वहां बड़े ऑफिस से आए साहब 'समझकर एक किसान ने अपनी समस्या बताई, मैंने शाखा प्रबंधक को उसकी समस्या हल करने का रास्ता सुझाया। शायद शाखा प्रबंधक ने उस तरीके से उसका काम कर दिया था। वैश्वीकरण के दौर में यह परिभाषा भी बौनी नजर आती है। आज ग्राहक की अपेक्षा होती है कि मैं कलकत्ता में वस्तु खरीदूं तो दिल्ली में मरम्मत व चंडीगढ़ में वापसी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यही नहीं उसे घर/दफ्तर से निकलने की भी फुरसत नहीं है अर्थात् यह सुविधा भी उसके द्वार पर दी जाए। विक्रेता उससे नियमित संपर्क में रहे, उसे अपने आगामी नव–उत्पादों, आकर्षक छूट योजनाओं, विशिष्ट ग्राहक कूपन योजना इत्यादि की जानकारी भी प्रदान करता रहे।

आईये! इसे आधुनिक प्रसंग में लाभप्रदत्ता व लागत घटक के साथ जोड़कर देखा जाए।

एक व्यापारी विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद मुख्य बाजार में विशाल शो–रूम में सजावट के साथ रख्कर डेकोरेटिव लाईट्स, पंखे व एसी का खर्चा कर, सेल्समैन की फौज के माध्यम से बेचने के लिए ग्राहक की प्रतीक्षा करता है वहीं उससे कम दाम में आज वही उत्पाद टेलीमार्केटिंग कम्पनियों से अथवा इंटरनेट पर ग्राहक स्वयं उत्पाद पसंद करके बाजार से कम दामों पर अपने घर पर सुपुर्दगी प्राप्त करता है तथा वहीं उसका मूल्य चुकाता है। 30 दिन तक पसंद न आने पर वापसी का अवसर भी उपलब्ध है। वापसी भी ग्राहक के घर से ली जाती है। जबकि बाजार से लाई वस्तु उसी दुकान पर वापस करने के नाम पर ही पहले तो दुकानदार कई तरह के बहाने बनाएगा, उसे यह जताने की कोशिश करेगा कि खराबी तो नहीं है, शायद आपको ही ऐसा लग रहा है। कंपनी में भेज दूंगा, कुछ दिन लगेंगे, कोरियर चार्ज भी लगेगा। ऐसे में ग्राहक स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है व उंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत चरितार्थ होती है। आज भारत के मध्यम श्रेणी के शहरों में भी ऑनलाईन शॉपिंग जोर पकड़ रही है।

ऐसे में महंगे शो–रूम के परिचालन व्यय निकालकर लाभ कमाना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। जबकि इन वैबसाइट्स के द्वारा न्यूनतम परिचालन व्यय में लाभ यानि आम के आम गुठलियों के दाम कमाए जा रहे हैं। ऐसी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वैबसाइट आने वाले समय में परंपरागत भारतीय बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगी। उत्पाद के अलावा सेवा क्षेत्र बैंक, बीमा, शिक्षा व स्वास्थ्य में भी विभिन्न वैबसाइट्स धमाकेदार प्रचार के माध्यम से ग्राहकों को घर बैठे लुभा रही हैं। इनकी परिचालन लागत भी अत्यंत कम होती है। ग्राहकों को अनेक विकल्प व उत्पाद के बारे में बहुकोणीय जानकारी प्रदान की जाती है जिससे ग्राहक इनकी विश्वसनीयता का आकलन कर इनके उत्पादों को क्रय करता है।

आईये बेहतर ग्राहक सेवा के कुछ मूलमंत्र की चर्चा भी कर ली जाए।

उत्कृष्ट उत्पाद : प्रतिस्पर्धा के दौर में चाहे महंगा बेचो चाहे सस्ता, उत्पाद उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना पहली शर्त है।

वृहद् नेटवर्क : उत्पाद स्थानीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर तक पहुंच वाला होना चाहिए ताकि उसके सम्बन्ध में विक्रय पश्चात् सेवाएं कहीं भी–कभी भी प्राप्त की जा सकें। ग्राहक इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है।

मधुर व्यवहार : यह किसी भी व्यापार में एक अनिवार्य शर्त है। कहते हैं 'प्रेम से बोलो, इज्जत मुफ्त मिलेगी।' व्यवसाय में मधुर व्यवहार के कारण असीमित संभावनाएं छिपी होती हैं।

ग्राहक हमारा अतिथि है, वह हमारे उपर निर्भर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर हैं। ग्राहक छोटा अथवा बड़ा नहीं, केवल ग्राहक होता है, वह उसी सम्मान का हकदार होता है। यदि हम उसे वह सम्मान देंगे तो एक छोटा सा ग्राहक भी हमारे व्यवहार से प्रसन्न होकर हमें लाखों का व्यवसाय दे अथवा दिलवा सकता है।

विक्रय पश्चात सेवाएं :

किसी भी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय पश्चात् प्रायः यह मान लिया जाता है कि अब ग्राहक से सम्बन्ध समाप्त, अगला ग्राहक की तलाश कर उसे अटेण्ड करो, यदि कोई पुराना ग्राहक उत्पाद के संबंध में कोई जानकारी लेने भी आए तो उसे स्वयं अटेण्ड न कर सेल्समैन अथवा नौकर द्वारा अटेण्ड करवाना, बाद में आने के लिए कहना, अभी ग्राहकी का समय है, ऐसे बहाने बनाना। यदि ग्राहक ने उत्पाद में कोई दोष बताकर समाधान चाहा तो उसके तथ्यों को नकारना, उसकी सुनना ही नहीं।

श्रीमान! ग्राहक बहुत सोच–विचार के बाद, बमुश्किल समय निकालकर शिकायत करने आता है फिर ऐसे जवाब सुनकर वह काठ की हांडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, ऐसा मानकर बिना शिकायत किए ही आपके प्रतिष्ठान से दूरी बना लेता है। ऐसे अराजकतापूर्ण वातावरण से तंग आकर ही ग्राहकों ने वैबसाइट्स से ऑनलाईन शॉपिंग के विकल्प को चुनना शुरू किया है। मैंने इस सम्बन्ध में अनेक साथियों से इसकी चर्चा की। उनका अनुभव इस बारे में बहुत ही शानदार रहा।

एक साथी ने एक इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदा, जिसमें मामूली सी खराबी की शिकायत करते ही कंपनी ने उन्हें सूचित किया कि दूसरा पीस भेजा जा रहा है, पुराना पीस भी आपके घर से ले लिया जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य बैंकर साथी ने एक कारपेट खरीदा जो पीछे से हल्का सा कटा हुआ था, सामने से बिल्कुल सही था, उसे भी कंपनी ने शिकायत करने पर पूरा पैसा खाते में लौटा दिया व कारपेट भी स्वयं ही रखने को कहा।

मैंने स्वयं एयरपोर्ट से एक घड़ी खरीदी जिसके बंद होने पर मैंने कंपनी से शिकायत की तो उन्होनें नजदीकी केंद्र से मुझे नई घड़ी लेने के लिए संबंधित सेल्समेन के फोन नंबर देते हुए कहा कि आपके लिए उसी ब्रांड का एक पीस रिजर्व करवा दिया गया है। यही नहीं उस केंद्र से तुरंत ही सेल्समेन का फोन भी आ गया कि उस मॉडल की घड़ी का एक पीस मेरे पास रिजर्व है, आप जब भी सुविधाजनक हो मुझे सूचित कर दें, आपको नया पीस पहुंचा दिया जाएगा।

ऐसे में आप ही बताईये कि ग्राहक परंपरावादी दुकानों में आने–जाने का समय नष्ट कर दुकानदार से क्यों माथापच्ची करेगा। उसे अन्य ग्राहकों के सामने झूठा साबित होने का भय भी सताएगा। संदेश स्पष्ट है कि एक ग्राहक के रूप में आप स्वयं अपने लिए क्या चाहते हैं, वैसी ही ग्राहक सेवा आप अपने संस्थान में प्रदान करें।

क्रॉस सेलिंग :

आजकल बड़े–बड़े मॉल, बैंक, बीमा क्षेत्र में 'क्रॉस सेलिंग' शब्दावली कुछ अधिक प्रचलित हो गयी है। यदि ग्राहक ने बच्चे के लिए एक नैपी की मांग की, तो दुकानदार तुरंत उसे बेबी सोप, पाउडर, क्रीम, मिल्क बॉटल इत्यादि अनेक उत्पाद दिखाने लगता है व एकमुश्त लेने पर छूट का प्रलोभन भी देता है।

इसी प्रकार बैंक भी ग्राहक को बचत खाता खुलवाने पर एफडी, आरडी, डेबिट–क्रेडिट कार्ड , गोल्ड कॉईन, म्यूच्युअल फंड, सिप, विभिन्न बीमा योजना इत्यादि उत्पाद खरीदने हेतु प्रेरित करते हैं। यह क्रॉस सेलिंग ग्राहक को उसकी जरूरत, सुविधा व वहन क्षमता के अनुसार स्वेच्छा से अभी अथवा यथासमय लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इस मामले में 'तेल देखो तेल की धार देखो' के सिद्धांत पर चलना चाहिए अर्थात सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि टार्गेट पूरा करने, प्रबंधन की नजरों में खुद को श्रेष्ठ कर्मचारी सिद्ध करने के चक्कर में ग्राहक को गैर–जरूरी उत्पाद बेच कर उसे हमेशा के लिए भागने पर बाध्य कर दें। जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं आज का ग्राहक अपनी शिकायत लेकर आपके पास आने में भी शर्म महसूस करता है। आपके प्रतिष्ठान में आकर शिकायत करने की बजाय वह आपसे दूरी बनाना ज्यादा उचित समझता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि क्रॉस सेलिंग बुरी चीज है, यह नहीं करनी चाहिए बल्कि होना यह चाहिए कि ग्राहक की जरूरत, रुचि, पसंद–नापसंद व क्षमता का भली प्रकार जायजा लेकर उसके अनुरूप उत्पाद बेचा जाए। विपणन शर्तें भी इतनी लचीली होनी चाहिए कि ग्राहक चाहे तो विक्रय पश्चात भी उत्पाद के स्वरूप में बदलाव करा सके, वापस कर सके।

हमने ग्राहक सेवा कैसी हो, इसके बारे में बहुत चर्चा कर ली किंतु यह भी जानना आवश्यक है कि ग्राहक सेवा बिगड़ती क्यों है। बहुत ही सीधी सी बात है कि एक बड़े से स्टोर में माल बहुत है, वैरायटी भी हैं, छूट भी दी जा रही है किंतु इन सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु आने वाले ग्राहकों को अटेण्ड करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है, ऐसे में किसी ग्राहक सेवा, धैर्य, मुस्कान के साथ सेवा जैसी कल्पना बेमानी है।

अब दूसरा पहलू देखिए। माल बहुत है, वैरायटी भी हैं, छूट भी दी जा रही है, ग्राहकों की भीड़ भी है, सेल्समैन भी बहुत सारे हैं किंतु उन सेल्समैन को पर्याप्त वेतन, सुविधाएं व आत्मसम्मान नहीं है, उसका दृष्टिकोण यही बन जाएगा कि कितनी भी सेल कर लो, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, फलस्वरूप वे ग्राहकों में पर्याप्त दिलचस्पी नहीं लेंगे।

एक अच्छे अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पहले नई–नई किताब, बस्ता, पेन–पैंसिल दिलाते हैं, अच्छे स्कूल में भर्ती कराकर अच्छा टिफिन खाने के लिए देते हैं, यदि फिर भी बच्चा नहीं पढ़ता है तब उसे भय दिखाते हैं। इसी प्रकार संस्थान में उत्पाद, सेवा, सुविधाएं, ब्रांडिंग, विभिन्न आकर्षण के साथ–साथ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ, वेतन, सुविधाएं, अभिप्रेरण व सम्मान होना चाहिए। यदि प्रबंधन के अन्य सिद्धांत नियंत्रण अनुशासन व दंड कार्मिकों पर लागू किया जाना है तो वह अभिप्रेरण के सिद्धांत के बाद ही लागू किया जाना चाहिए।

बैंक में सही मायने में ग्राहक सेवा यही है कि ग्राहक को अपनी शिकायत के लिए कोई लंबा–चौड़ा लिखित आवेदन न देना पड़े, दोबारा आना न पड़े, उसका संपर्क नंबर नोट कर समाधान की सूचना दी जानी चाहिए। सबसे जरूरी यह है कि किसी भी उत्पाद के बारे में सही व पर्याप्त जानकारी देकर ही बेचा जाए। यदि ऋण उत्पाद बेचा जाना है तो इसके लिए उसे टरकाऊ जवाब न देकर स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। उसके ऋण प्रस्ताव पर एक बार में ही पर्याप्त विचार कर ठोस जवाब दिया जाए। इसके लिए स्टाफ को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। ग्राहक का खाता सही–सही जानकारी भरकर कम्प्यूटर में खोला जाना चाहिए ताकि टीडीएस, ब्याज इंटरवल्स, किश्त, पैनल ब्याज, लिमिट, नो ड्यूज, कम ब्याज, चार्जेज जैसी आम समस्याएं उत्पन्न ही न होने पाएं। स्टाफ को हर ऋण–जमा उत्पाद के बारे में ऑनलाईन सपोर्ट मिले, ऐसा हैल्पडैस्क बनाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था को भी और अधिक व्यवहारिक व प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सार रूप में पूर्णतः प्रशिक्षित, प्रेरित व बैक–सपोर्ट प्राप्त स्टाफ के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सकती है।

अजय सक्सेना
वरिष्ठ प्रबंधक–राजभाषा
अंचल कार्यालय, जयपुर

बैंकिंग जगत में राजभाषा नीति का इतिहास और विकास

भारत विविध भाषाओं का देश है, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बाँध सके। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा नीति का उद्देश्य प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इस नीति का प्रभाव धीरे–धीरे विभिन्न क्षेत्रों में दिखने लगा, और बैंकिंग क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा।

राजभाषा नीति की शुरुआत

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि हिंदी, देवनागरी लिपि में, भारत की राजभाषा होगी। साथ ही अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग भी एक सहायक भाषा के रूप में कुछ समय तक जारी रहेगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार विभिन्न कार्यालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया गया। बैंकिंग क्षेत्र, जो आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, उसमें भी हिंदी के उपयोग को प्राथमिकता दी जाने लगी।

बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा नीति का विकास

बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कई दिशा–निर्देश और योजनाएं बनाई। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ–साथ सभी बैंकों ने हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु विशेष प्रयास किए। बैंकों ने अपने सभी परिपत्र, अधिसूचनाएं और अन्य दस्तावेज़ हिंदी में भी जारी करने शुरू किए।

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ हिंदी में संवाद स्थापित करने की दिशा में कार्य किया। बैंकिंग से संबंधित फॉर्म, पासबुक, चेकबुक और एटीएम सेवाएं भी धीरे–धीरे हिंदी में उपलब्ध कराई गईं।

तकनीकी विकास और हिंदी

तकनीकी युग में बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। इसी के साथ राजभाषा नीति का भी तकनीकी दृष्टि से विकास हुआ, जिससे हिंदी भाषा आम जनता तक तकनीक के माध्यम से सहजता से पहुँच सके। आज बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा नीति केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन, एटीएम, और कॉल सेंटर सेवाओं तक विस्तृत हो गई है।

क) डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में हिंदी का समावेश– अब अधिकांश बैंकों की वेबसाइटें हिंदी में भी उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा चुनकर खाता खोलने, बैलेंस जांचने, ट्रांजैक्शन करने जैसी सुविधाएं हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं।

ख) मोबाइल एप्लिकेशन में हिंदी इंटरफेस– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने मोबाइल एप्लिकेशन में हिंदी भाषा विकल्प जोड़ा है। इससे ग्रामीण और हिंदीभाषी क्षेत्रों में ग्राहकों की भागीदारी बढ़ी है।

ग) हिंदी में एटीएम सेवाएं– अब अधिकांश बैंकों के एटीएम मशीनों में हिंदी भाषा का विकल्प मौजूद है। ग्राहक बिना किसी भाषा बाधा के आसानी से नकद निकालने, पासबुक अपडेट करने और मिनी स्टेटमेंट देखने जैसे कार्य कर सकते हैं।

घ) इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों में हिंदी विकल्प– बैंकों के नेट बैंकिंग पोर्टल्स पर भी हिंदी भाषा का चयन किया जा सकता है। इससे उपयोगकर्ता अपने खाते से संबंधित कार्य जैसे फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, लोन आवेदन आदि हिंदी में कर सकते हैं।

ङ) हिंदी भाषा में कॉल सेंटर सेवाएं– बैंकों की टोल–फ्री हेल्पलाइन और कॉल सेंटर पर हिंदी में बातचीत की सुविधा दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को संवाद में सरलता होती है।

च) तकनीकी प्रशिक्षण में हिंदी का प्रयोग– बैंक कर्मचारियों को डिजिटल टूल्स और बैंकिंग सॉफ्टवेयर के प्रयोग की हिंदी में प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, प्रशिक्षण सत्रों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है।

राजभाषा विभाग की भूमिका

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। विभाग द्वारा राजभाषा पुरस्कार, निरीक्षण, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से बैंकिंग जगत को हिंदी प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाता है। साथ ही त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनका कार्य हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित प्रादेशिक भाषा में हो।

निष्कर्ष

बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा नीति का इतिहास एक निरंतर विकास की गाथा है, जिसमें हिंदी को एक मजबूत प्रशासनिक और संवाद की भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। यह नीति न केवल भाषाई समरसता को बढ़ावा देती है, बल्कि आम जनता को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होती है। भविष्य में यह अपेक्षा की जाती है कि तकनीकी नवाचारों के साथ–साथ हिंदी का उपयोग और अधिक प्रभावी और व्यापक होगा।

स्वप्निल
सहायक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर

मुफलिस में बसे सपनों की उड़ान

एक विशाल खाली पाइप के भीतर, जो किसी सड़क किनारे पड़ा हुआ था, उसमें एक माँ और उसकी बेटी ने अपना अस्थायी घर बसा लिया था। चारों तरफ कच्ची जमीन, खुले आसमान के नीचे, उनके पास छत के नाम पर बस यही पाइप था।

सुबह का समय था, और माँ अपनी नन्हीं बेटी को स्कूल के लिएतैयार कर रही थी। बेटी की उम्र करीब सात साल रही होगी। वह साफ–सुथरी यूनिफॉर्म पहने हुए थी, जो शायद माँ ने खुद ही धोकर तैयार की थी। माँ बड़े प्यार से उसकी छोटी सी चोटी बना रही थी, उसके बालों में रिबन बाँधते हुए। आस–पास की कठिनाइयों और तंगहाल जिंदगी के बावजूद, माँ के चेहरे पर एक दृढ़ता और संतोष झलक रहा था। उसकी आँखों में अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य का सपना साफ़ दिखाई दे रहा था। पाइप के बाहर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। राह चलते लोग शायद उन दोनों पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, लेकिन माँ और बेटी के लिए यह क्षण बहुतखास था।

माँ हर रोज इसी उम्मीद के साथ अपनी बेटी को स्कूल भेजती थी कि एक दिन वह पढ़–लिखकर एक बेहतर जीवन जी सकेगी। माँ ने बेटी को अच्छे से तैयार कर उसके कंधे पर बैग टाँगा और प्यार से उसे माथे पर चूम लिया। उसने बेटी की ओर देखा और कहा, 'स्कूल में मन लगाकर पढ़ाईकरना, एक दिन तुम्हारी मेहनत से हमारा भी घर होगा।' बेटी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पाइप से बाहर निकल गई, जैसे वह अपनी माँ के हर शब्द को सच्चाई में बदलने का वादा कर रही हो।

उस छोटे से पाइप के भीतर सीमित संसाधनों में रहते हुए भी, माँ की आँखों में उम्मीदकी चमक और बेटी के कदमों में आत्मविश्वास था। इस कहानी में गरीबी तो थी, पर उससे कहीं अधिक था एक बेहतर कल का सपना, जो माँ और बेटी के रिश्ते को हर कठिनाई के बावजूद मजबूत बनाए हुए था।

अमर सिंह मीना
सहायक महाप्रबंधक,
सिडबी,
सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र शाखा

राजस्थान के घुमन्तु समुदाय से एक परिचय

घुमन्तु समुदाय उन लोगों या समूहों को कहा जाता है जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और वे अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। राजस्थान में कई घुमन्तु समुदाय हैं, जिनमें बंजारा, गाड़िया लोहार, सांसी, कंजर आदि प्रमुख हैं। इन समुदायों का भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है, हालांकि वे अक्सर हाशिए पर जीवन यापन करते हैं और कई चुनौतियों का सामना करते हैं।

राजस्थान, एक ऐसा प्रदेश जो अपनी रंगीन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, यहाँ घुमन्तु समुदाय भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सदियों से, इन समुदायों ने अपनी अनूठी जीवनशैली को बनाए रखा है, जो प्रकृति और पशुधन के साथ गहरे संबंध पर आधारित है।

राजस्थान के घुमन्तु समुदाय, जैसे कि रायका, गुर्जर, अहीर, और बंजारा, मुख्य रूप से भेड़, बकरी, ऊंट और गाय जैसे जानवरों का पालन करते हैं। उनके जीवन का केंद्रबिंदु उनके पशुधन होते हैं, जो न केवल उनकी आजीविका का साधन हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का भी अभिन्न अंग हैं। ये समुदाय अक्सर मौसमी प्रवास करते हैं, अपने पशुओं के लिए चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह घुमंतू जीवन उन्हें मौसम के बदलावों और चरागाहों की उपलब्धता के अनुसार ढलने की क्षमता प्रदान करता है।

पशुपालकों का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है। जलवायु परिवर्तन, चरागाहों का सिकुड़ना, पानी की कमी, और आधुनिक विकास के दबाव उनकी पारंपरिक जीवनशैली के लिए खतरा पैदा करते हैं। वन कानूनों और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण उनके लिए अपने पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त स्थान ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बाजार में पशुधन उत्पादों की अस्थिर कीमतें और बिचौलियों का शोषण भी उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, राजस्थान के घुमन्तु समुदाय अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उनके सामाजिक ताने–बाने मजबूत होते हैं, और वे सामुदायिक सहयोग और पारंपरिक ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उनके लोकगीत, नृत्य, और रीति–रिवाज उनके पशुधन और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, कई समुदायों में पशुओं की पूजा की जाती है और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है।

राजस्थान के घुमन्तु समुदाय, जो अपनी जीवंत संस्कृति और पारंपरिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी घुमंतू जीवनशैली, जो सदियों से उनकी पहचान रही है, अब आधुनिक विकास और सामाजिक परिवर्तनों के दबाव में है।

घुमन्तु समुदायों की प्रमुख चुनौतियां :

- **स्थायी निवास की कमी** : इन समुदायों के पास अक्सर अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है, जिससे उन्हें आवास, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
- **आजीविका के साधन** : पारंपरिक व्यवसाय, जैसे कि पशुपालन, कला और शिल्प, अब बदलते आर्थिक परिदृश्य में कम आकर्षक और टिकाऊ होते जा रहे हैं। चरागाहों का सिकुड़ना और वन कानूनों के कारण पशुधन चराना मुश्किल हो गया है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य** : घुमंतू जीवनशैली के कारण, इन समुदायों के बच्चों को नियमित शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सीमित होती है, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- **पहचान और नागरिक अधिकार** : कई घुमन्तु समुदायों के पास आवश्यक पहचान दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं और नागरिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
- **सामाजिक भेदभाव** : इन समुदायों को अक्सर सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक समावेश प्रभावित होता है।
- **सांस्कृतिक विरासत का क्षरण** : आधुनिकता के प्रभाव और पारंपरिक व्यवसायों के लुप्त होने के कारण, उनकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान खतरे में है।

किए जा रहे प्रयास :

इन चुनौतियों का सामना करने और घुमन्तु समुदायों के उत्थान के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठन कई स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं :

सरकारी पहल :

- **आवास योजनाएं** : सरकार आवासहीन घुमन्तु परिवारों को भूखंड और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। हाल ही में, कई परिवारों को मुफ्त भूखंड वितरित किए गए हैं।
- **शिक्षा प्रोत्साहन** : बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाए जा रहे हैं और उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **आजीविका सहायता** : पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने और नए कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- **पहचान दस्तावेज** : इन समुदायों को पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
- **घुमन्तु समुदाय नीति** : राजस्थान सरकार ने घुमन्तु समुदाय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका उद्देश्य इन समुदायों के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है।
- **वित्तीय सहायता** : राज्य सरकार ने इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया है।

गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और सामुदायिक पहल :

- कई एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में घुमन्तु समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- सामुदायिक स्तर पर स्वयं सहायता समूह और अन्य संगठन इन समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- उनकी पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

यह सच है कि घुमन्तु समुदायों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास आशा की किरण दिखाते हैं। इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक समन्वित और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो उनकी अनूठी जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद करे।

सरकार और गैर–सरकारी संगठन इन समुदायों की समस्याओं को कम करने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इनमें पशुधन विकास कार्यक्रम, चरागाह विकास परियोजनाएं, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। हालांकि, इन समुदायों की अनूठी जीवनशैली और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए और अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

राजस्थान के घुमन्तु समुदाय न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, बल्कि वे अपनी पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ जीवनशैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जीवनशैली हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की सीख देती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी चुनौतियों को समझें और उनकी अनूठी संस्कृति और ज्ञान को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें।

अमित श्रृंगी
विकास कार्यकारी
सिडबी

सारानुवाद के विविध पक्ष

अनुवाद लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के बीच सेतु का कार्य करता है। अनुवाद की प्रकृति के अनुसार इसे कई रूपों में बांटा जा सकता है – जैसे सारानुवाद, भावानुवाद, आशु अनुवाद आदि। साररूप में अनुवाद करने का कार्य सारानुवाद कहलाता है। इसमें संपूर्ण मूल पाठ का अनुवाद नहीं किया जाता, बल्कि केवल उसके प्रमुख कथ्य का अनुवाद किया जाता है। अतः सारानुवाद के दो चरण हैं –– कथ्य में प्रमुख बिंदुओं का चयन करना और तत्पश्चात उनका अनुवाद करना। प्रस्तुत आलेख में सारानुवाद के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है –

1. सामान्य अनुवाद व सारानुवाद में अंतर व समानताएँ :

सामान्य अनुवाद में भाषान्तरण के साथ–साथ भाषा की लाक्षणिकता को भी लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास होता है जबकि सारानुवाद में केवल मूल पाठ के प्रमुख कथ्य को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। सारानुवाद में भाव संप्रेषण की ओर अधिक एवं संप्रेषण की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार सारानुवाद की प्रमुख विशेषता संक्षेपण है। सारानुवाद की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता न हो, यह अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो तथा मूल कथ्य में संप्रेषित भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। दोनों ही तरह के अनुवाद में मूल कृति में व्यक्त विचारों का अनुसरण अपेक्षित होता है, अतः इनमें मूल पाठ में दिए गए पर्यायों के समतुल्य अन्य पर्याय चुनने की स्वतंत्रता रहती है, जो लक्ष्य भाषा में भावार्थ को समुचित रूप से अभिव्यक्त कर सकें।

2. सारानुवाद की आवश्यकता :

मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान व ज्ञान संबंधी सामग्री अलग–अलग राष्ट्रों में उपलब्ध हो रही है। किसी एक भाषा में लिखी गई सामग्री का पूरी तरह से अनुवाद किया जाना सदैव संभव और व्यावहारिक नहीं होता। अतः विविध भाषाओं में उपलब्ध सामग्री के भंडार को दूसरी भाषाओं में संकलित व संप्रेषित करने के लिए सारानुवाद महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें कृति या अवतरण में उपलब्ध केन्द्रीय विचार की पहचान कर उसका अनुवाद किया जाता है। मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में इसी प्रकार क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में किए गए अनुवाद को सारानुवाद कहते हैं।

3. सारानुवाद की प्रक्रिया :

सारानुवाद करते समय सर्वप्रथम मूल कथ्य का अर्थ ग्रहण किया जाता है, फिर उसमें प्रमुख बिंदुओं की पहचान की जाती है और मूल पाठ का संप्रेषण करके लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। अतः इस प्रक्रिया के चरणों को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है :

अर्थ ग्रहण – किसी भी प्रकार के अनुवाद का पहला चरण अर्थग्रहण ही होता है। इसके लिए पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर उसके सही अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विषय का सामान्य ज्ञान होने के साथ साथ स्रोत भाषा के सामाजिक संदर्भों का ज्ञान होना भी जरूरी है, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त विचारों व सांकेतिक प्रयोगों में से अभिप्रेत अर्थ की पहचान की जा सके।

केंद्रीय विचार की पहचान– मूल पाठ को पढ़कर यह समझना आवश्यक है कि लेखक ने इसे किस उद्देश्य से लिखा है और विषय का विस्तार करते हुए क्या निष्कर्ष निकाला गया है । इसके लिए कथ्य के संदर्भ का ज्ञान और विषय का आधारभूत ज्ञान होना जरूरी है, ताकि केन्द्रीय विचार की पहचान की जा सके।

मूल पाठ में से चयन– किसी भी पाठ में केन्द्रीय विचार की व्याख्या विभिन्न उदाहरणों, तर्कों आदि का उपयोग करते हुए की जाती है। कई बार एक ही विचार को अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया जाता है। सारानुवाद करते समय इस प्रकार की पुनरावृत्तियों को छोड़ा जा सकता है। केवल उन्हीं कथनों या विचारों को ग्रहण किया जा सकता है, जो केन्द्रीय विचार को विकसित करने में सहायक हों। इस प्रक्रिया में अत्यन्त सावधानी बरतना आवश्यक है ताकि कोई भी ऐसा विचार या तथ्य न छूटे जो कथ्य के क्रमिक विकास में सहायक है। अभ्यास के साथ अनुवादक इस कार्य में दक्ष हो सकता है।

संक्षेपण और पुनः प्रस्तुति– यह सारानुवाद की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। कथ्य का संक्षेपण करने के साथ साथ उसे लक्ष्य भाषा में भी प्रस्तुत करना होता है। इसकी दो विधियाँ हैं पहले मूल भाषा में संक्षेपण किया जाए और फिर उसका अनुवाद किया

जाए अथवा मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में सीधे संक्षेपण करते हुए अनुवाद किया जाए। दूसरी विधि अपेक्षाकृत जटिल कही जा सकती है किन्तु अभ्यास व अनुभव के साथ यही सारानुवाद की इच्छित प्रक्रिया होती है।

सारानुवाद के बाद यह भी देखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण अंश या कथ्य छूट न गया हो। साथ ही, असंबद्ध विचारों तथा पुनरावृत्तियों को दूर करने के लिए अनूदित पाठ कीपुनः जॉच भी की जा सकती है।

4. सारानुवाद की विशेषताएं :

संक्षिप्तता के अतिरिक्त अनुवाद की इस विधा की विशेषताओं में इसकी सूचना प्रधानता प्रमुख है। इसका मुख्य लक्ष्य विषय या घटनाओं की सूचना प्रदान करना होता है। विचारों का विशेष क्रम इसकी एक अन्य विशेषता है। सारानुवाद को मूल कृति का पर्याय भी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी प्रमुख विचारों व बिंदुओं को समाहित किया जाता है। अनुवाद के अन्य प्रकारों की तरह सारानुवाद भी एक तरह का पुनर्सृजन है, जिसमें मौलिकता के साथ रचना करने की कुशलता होनी भी जरूरी है। इसमें मूल कृति की भाषा की जटिलता को सरल किया जाता है व उसे लक्ष्य भाषा के पाठकों के लिए सुग्राह्य बनाया जाता है। साथ ही, सारानुवाद का एक लक्षित पाठक वर्ग भी अवश्य होता है, क्योंकि यह एक विशेष उद्देश्य व प्रयोजन के साथ किया जाता है। संचार माध्यमों के दर्शक श्रोतागण, विज्ञापनों का लक्षित वर्ग, कृषि या अन्य औद्योगिक विषयों के उपयोगकर्ता, प्रशासनिक अधिकारीगण, संसद सदस्य, न्यायालयकर्मी, साहित्य के विद्यार्थी अध्यापक, राजनेतागण आदि विविध क्षेत्रों के लक्षित उपयोगकर्ता हैं। अतः सारानुवाद की शैली में लक्षित वर्ग की जरूरत के अनुरूप विविधता होती है।

5. सारानुवाद की सीमाएं :

सारानुवाद के पाठक कृति के मूल आलेख से प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं कर पाते। मूल कृति में दिए गए विचारों व भावों को प्रभावी बनाने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं उनसे पाठक अछूता रह जाता है। यदि सारानुवाद सावधानीपूर्वक न किया जाए तो मूल कृति के अभिप्रेत उद्देश्य के स्थान पर किसी गौण या इतर उद्देश्य के उद्घाटन का खतरा भी रहता है। भाषणों का सारानुवाद करते समय प्रायः इस प्रकार के भ्रामक अनुवाद होने का जोखिम अधिक रहता है। चूँकि सारानुवाद सूचना प्रधान होता है, अतः इसमें शैलीगत सौंदर्य का अभाव होता है। साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति केवल शब्दों के द्वारा न होकर, लाक्षणिक प्रयोगों व लयात्मकता के द्वारा भी होती है। इसमें प्रयुक्त बिम्बों व प्रतीकों का अनुवाद भी दुष्कर होता है। अतः, किसी साहित्यिक रचना का सारानुवाद करना भी असंभव न सही, किंतु अत्यन्त कठिन तो कहा ही जा सकता है।

वेद मखीजा
समप्र (हिंदी)
सिडबी
जयपुर

मैं तुम्हारे लिए रहूँ...

शब्दों के बिना भी प्रेम होता है
पहाड़ों जैसा,
ना हिलने वाला... लेकिन समझने वाला।
छाया देने वाला पेड़,
और ठंडक जिसे महसूस हो,
बोलने के बिना भी।
कभी रास्ता नहीं दिखता,
फिर भी कोई तो होता है...
बिना कुछ कहे।

प्रवीण काशीनाथ ढोले
सहायक प्रबन्धक
नाबार्ड

बैंकिंग में अनुपालन-महत्व और आवश्यकता

बैंकिंग में अनुपालन (Compliance) का अर्थ है बैंकिंग नियमों, कानूनों और विनियमों का पालन करना। अनुपालन का उद्देश्य बैंकिंग संस्थानों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से काम करने में मदद करना है।

बैंकिंग में अनुपालन के लाभ

1. **जोखिम प्रबंधन** : शाखा अथवा कार्यालय में समय पर नियमों का पालन और संस्थान द्वारा बनाई गई नीति के नियमों का अनुपालन कार्य में जोखिम को भी कम अथवा समाप्त कर देता है।
2. **ग्राहक विश्वास** : अनुपालन का क्रियान्वयन हमारे ग्राहकों के विश्वास को भी बढ़ाता है और हमारे कारोबार में भी वृद्धि करता हैं।
3. **नियमितता** : नियमितता अनुपालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम समय रहते ही नियमों का अनुपालन कर लेते हैं तो हमारे संस्थान में कार्य कुशलता भी बढ़ जाती है।
4. **प्रतिष्ठा** : अनुपालन बैंक की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है जो हमारे ग्राहकों को हमसे जोड़कर रखती है और नए ग्राहकों को भी आकर्षित करती है।

बैंकिंग में अनुपालन के प्रकार

1. विनियामक अनुपालन : विनियामक अनुपालन में बैंकिंग नियमों और विनियमों का पालन करना शामिल है।
2. कानूनी अनुपालन : कानूनी अनुपालन में बैंकिंग कानूनों का पालन करना शामिल है।
3. आंतरिक अनुपालन : आंतरिक अनुपालन में बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है।

बैंकिंग में अनुपालन (Compliance) के और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं :

अनुपालन के लिए आवश्यक कदम

1. नियमों और कानूनों की जानकारी : बैंकिंग नियमों और कानूनों की जानकारी प्राप्त करना।
2. नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास : अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास करना।
3. प्रशिक्षण और जागरूकता : कर्मचारियों को अनुपालन के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करना।
4. निगरानी और समीक्षा : अनुपालन की निगरानी और समीक्षा करना।

अनुपालन के लाभ

1. जोखिम प्रबंधन : समयबद्ध अनुपालन जोखिम को कम करने में मदद करता है।
2. ग्राहक विश्वास : अनुपालन ग्राहक के विश्वास को संस्था के प्रति मजबूत करता है।
3. नियमितता : अनुपालन कर्मचारी के कार्य में अनुशासन भी सुनिश्चित करता है।
4. प्रतिष्ठा : सरकार के द्वारा बनाए गए नीति नियमों के अनुपालन से देश में बैंक की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

अनुपालन की चुनौतियाँ

1. नियमों और कानूनों की जटिलता : नियमों और कानूनों की जटिलता अनुपालन को चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
2. कर्मचारियों की जागरूकता : कर्मचारियों में जागरूकता की कमी अनुपालन को प्रभावित कर सकती है।
3. तकनीकी चुनौतियाँ : तकनीकी चुनौतियाँ अनुपालन को प्रभावित कर सकती हैं।

बैंकिंग में अनुपालन (Compliance) के और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं :

अनुपालन के लिए तकनीकी समाधान

1. अनुपालन सॉफ्टवेयर : अनुपालन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है।
2. डेटा एनालिटिक्स : डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अनुपालन संबंधी डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है।
3. ऑटोमेशन : ऑटोमेशन का उपयोग करके अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है।

अनुपालन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास

1. नियमित समीक्षा : अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करना।
2. अनुपालन समिति : अनुपालन समिति का गठन करना जो अनुपालन संबंधी मुद्दों पर निगरानी रखे।

अनुपालन के लिए भविष्य की दिशा

1. डिजिटल अनुपालन : डिजिटल अनुपालन के लिए नए तकनीकी समाधानों का विकास करना।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता : कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
3. वैश्विक अनुपालन : वैश्विक अनुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का पालन करना।

अनुपालन के लिए जोखिम प्रबंधन

1. जोखिम पहचान : अनुपालन संबंधी जोखिमों की पहचान करना।
2. जोखिम मूल्यांकन : अनुपालन संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन करना।
3. जोखिम प्रबंधन : अनुपालन संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करना।

अनुपालन के लिए आंतरिक नियंत्रण

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली : आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विकास करना।
2. नियंत्रण गतिविधियाँ : नियंत्रण गतिविधियों का संचालन करना।
3. निगरानी और समीक्षा : आंतरिक नियंत्रण की निगरानी और समीक्षा करना।

अनुपालन के लिए बाहरी कारक

1. नियामक आवश्यकताएँ : नियामक आवश्यकताओं का पालन करना।
2. उद्योग मानक : उद्योग मानकों का पालन करना।
3. ग्राहक अपेक्षाएँ : ग्राहकों की अपेक्षाओं का ध्यान रखना।

निष्कर्ष

बैंकिंग में अनुपालन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो बैंकिंग संस्थानों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से काम करने में मदद करता है। अनुपालन के लिए जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण, बाहरी कारकों का ध्यान, और प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से बैंक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और ग्राहक विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। अनुपालन बैंकिंग संस्थानों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से काम करने में मदद करता है। अनुपालन के माध्यम से बैंक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और ग्राहक विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने और चुनौतियों का सामना करने से बैंक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और ग्राहक विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। अनुपालन के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग, सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन, और भविष्य की दिशा में काम करने से बैंक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और ग्राहक विश्वास को मजबूत कर सकते हैं।

प्रमोद कुमार चौधरी
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

जल नहीं तो 'जल'

'जल नहीं तो जल' का तात्पर्य देखे या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 'जल नहीं तो कल नहीं'। यह वाक्यांश जल संरक्षण के महत्व को दर्शाने के लिए हैं, जो जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पृथ्वी को 'नीला गृह' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 71 प्रतिशत भाग जल से आवृत है, लेकिन इसमें से 97 प्रतिशत खारा और केवल 3 प्रतिशत ही ताज़ा जल है, जिसमें अधिकतर बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। स्वाभाविक रूप से, मानव उपयोग के लिए उपलब्ध ताज़ा पानी की मात्रा मात्र 1 प्रतिशत है। इस सीमित संसाधन की बढ़ती माँग और घटती आपूर्ति भविष्य की पीढ़ियों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है।

जल का महत्व

हमारी जीवन प्रक्रियाएँ – जैसे प्यास बुझाना, भोजन पकाना, स्वच्छता, कृषि, उद्योग पानी पर पूरी तरह निर्भर हैं। मानव शरीर का लगभग 60–70 प्रतिशत भाग पानी से बना होता है, जो स्वास्थ्य और ऊर्जा संचरण के लिए अत्यावश्यक है। वनस्पति, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी पानी अनिवार्य है। जल में कमी होने पर उत्पादन प्रभावित होंगे, खाद्य कीमतें बढ़ेंगी और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। इसके साथ ही, स्वच्छ जल की अनुपलब्धता स्वास्थ्य समस्याएँ, संक्रामक रोग और मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न करती है।

वर्तमान जल संकट तथा इसके कारण

जल संकट की बड़ी वजहें हैं :

- **भूजल का तेजी से क्षरण** : कृषि और उद्योगों में भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा से रिकवरी न होना, कई जगहों पर भूजल स्तर में लगातार गिरावट।
- **जलप्रदूषण** : Untreated औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों का जल स्रोतों में बहना।
- **जलवायु परिवर्तन** : अनियमित बारिश और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि।
- **जनसंख्या एवं उपभोग में वृद्धि** : पिछले कुछ दशकों में आबादी बढ़ी, जिसके कारण प्रति व्यक्ति पानी की मांग भी तेज़ी से बढ़ी।

इन कारणों से विश्व में कई स्थानों पर लोग अभी भी स्वच्छ पानी के लिए संघर्षरत हैं।

जल संरक्षण के उपाय

1. घरेलूस्तर पर :

- नल खुला छोड़ने से बचें; ब्रश, शेविंग या बर्तन धुलते समय पानी बंद करें।
- नल / पाइप लीक तुरन्त मरम्मत करवाएँ।
- शॉवर के स्थान पर बाल्टी व मग का उपयोग करें।10 मिनट शॉवर की तुलना में यह 20–60 लीटर पानी बचाता है।
- वॉशिंग मशीन या डिशवॉशर तब ही चलाएं जब पूरा लोड हो।
- वर्षा जल संचयन : छत या नालों से इकट्ठा कर बाद में दोबारा उपयोग में लाएं।

2. कृषि एवं औद्योगिक स्तर पर :

- ड्रिप इरिगेशन जैसी दक्ष सिंचाई पद्धतियों को अपनाएँ।
- जैविक खेती, कवर फसल, खेतों का समतलीकरण – वर्षा जल अवशोषण बढ़ाने में मदद करते हैं।
- अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं।

3. सामाजिक–सरकारीपहल :

भारत में **"जलशक्ति अभियानः Catch the Rain – 2025"** जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी स्तर पर वर्षा जल संचयन एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

जल केवल एक प्राकृतिक स्रोत नहीं, बल्कि यह जीवन का मूलाधार है। इसकी सीमित मात्रा को देखते हुए "जल है तो कल है" की कथनी को व्यावहारिक रूप में आज ही अपनाना होगा। व्यक्तिगत स्तर से लेकर सरकारी सामुदायिक सभी स्तरों पर जल संरक्षण पर जागरूकता जरूरी है। यदि हम अभी नहीं जागे तो, आने वाली पीढ़ियाँ मुसीबत में होंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जीवनशैली में छोटे–छोटे परिवर्तन कर जल संरक्षण को अपनाना चाहिए – हर बूंद अनमोल है, और यही हमें जीवन और भविष्य दोनों का भरोसा दे सकती है।

फेनिशा सर्राफ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अंचल कार्यालय जयपुर

विफलताओं के अनुभव सफलताओं के द्वार खोलते हैं

कुछ अनुपम अद्वितीय रचने के स्वप्न जब आकार लेते हैं
जोश जज्बे और जीवटता से ये सपने साकार होते हैं

सपने साकार न हुए तो विफलताओं के किस्से बोलते हैं
विफलताओं के अनुभव सफलताओं के द्वार खोलते हैं

लक्ष्य बड़े थे या संसाधनों की कमी थी
अति–विश्वास था या राह सही नहीं चुनी थी

विफलता इन कमियों को सुधारने की सीख देकर जाती है
चिंतन–मनन और मंथन कर खुद को संवारने का अवसर लेकर आती है

विफलता कभी–कभी उद्देश्य–विहीन कर देती है
फिर से प्रयास करने का सारा उल्लास छीन लेती है

अश्कों की धार मन की वेदना कह जाती है
आँखें फिर आंसुओं का भार सह नहीं पाती हैं

इन आंसुओं को जो पलकों में सजाए रखते हैं
विफलता की कसक को दिल में बसाए रखते हैं

एक नयी शुरूआत करने का साहस दिखाते हैं
उनके स्वप्न फिर से साकार हो जाते हैं

भारती जैन
उच्च श्रेणी सहायक (आशु.)
वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक सचिवालय
भारतीय जीवन बीमा निगम
जयपुर मंडल कार्यालय–प्रथम

मारवाड़ी की रेलगाड़ी

ऐसी कई कहावतें हैं जिनका उपयोग मारवाड़ी लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और उनमें से कुछ उनकी मूल्य प्रणाली का इतना अभिन्न अंग हैं कि मारवाड़ी लोग जीवन के सबसे जटिल मुद्दों पर उनके माध्यम से बहुत तेजी से निष्कर्ष निकालते हैं। यह बहुत अजीब है कि कहावतें मूल्य प्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जब ये कहावतें ईमानदारी से जीये गए जीवन के सार के रूप में प्राप्त होती हैं तो उनमें मूल्य प्रणाली का हिस्सा बनने की गंभीरता होती है। मारवाड़ी शायद ही कभी कुछ बर्बाद करते हैं और समय भी इसका अपवाद नहीं है, इसलिए उनके जीवन में ईमानदारी और कड़ी मेहनत का होना लाजमी है। उनकी ईमानदारी और किसी भी चीज़ को बर्बाद न करने की आदत उनके हास्य की भावना को इतना अलग बनाती है कि दूसरों के लिए जो एक हास्य है, उनके लिए वह नहीं भी हो सकता है। इसी तरह एक मारवाड़ी के लिए जो हास्य या खुशी की बात है, दूसरों के लिए भी कॉमेडी हो जरूरी नहीं है।

लेकिन यहां मैं जिस कहावत के बारे में बात कर रहा हूं वह है :**जहां न पहुंचे रेल गाडी, वहां पहुंचे मारवाड़ी**

हालाँकि मैंने अपना पूरा जीवन राजस्थान में बिताया है और मेरा मूल और निवास राज्य भी राजस्थान है, लेकिन सच कहूँ तो मैं मारवाड़ी नहीं हूँ। लोकप्रिय अर्थ में मारवाड़ी लोग व्यवसायी हैं जो राजस्थान के एक निश्चित क्षेत्र से बाहर चले गए। मेरे मारवाड़ी हो सकने में सब से बड़ी बाधा ये है कि मेरी तीन पीढ़ियाँ सर्विस क्लास हैं, और इस कारण अन्य सभी शर्तें पूरी करने के बाद भी मैं मारवाड़ी पद के लिए अयोग्य हूं। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों की निर्देशिका देखी तो मुझे पता चला कि नागालैंड, त्रिपुरा, विदर्भ, उड़ीसा, मुंबई, बेंगलुरु और हिमाचल से लेकर अंडमान और निकोबार तक मारवाड़ी सर्वव्यापी हैं। मारवाड़ियों के साथ उनका खान–पान, पहनावा, उनके त्यौहार और मेल–मिलाप के अवसर भी उनके साथ चले गए हैं। मेरे जीवन के उत्तरार्ध में जब मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया और निजी क्षेत्र में अपनी शुरुआत की तो मुझे मारवाड़ियों के साथ दोस्ती बनाए रखने का सौभाग्य मिला। वे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ज्यादातर समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कमी रखते हैं या ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की तरह अपनी भावनाओं को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। किसी चीज़ का मूल्य समझने या उसकी सराहना करने के लिए उस चीज़ की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान राज्य की कठोर परिस्थितियाँ पानी, भोजन और अनुकूल वातावरण जैसी किसी भी चीज़ की कमी के लिए बहुत अनुकूल हैं। परिणामस्वरूप प्रेम, स्नेह और उच्च सिद्धांत जिनकी कोई व्यावहारिकता नहीं है, वे भी यहां दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग राजस्थान से प्यार करते हैं वे राज्य की विषम परिस्थितियों से भी प्यार करते हैं, वे इसे समग्रता से प्यार करते हैं।

पानी महंगों रे खून सस्तों है,
शीश काटा धड़ लड़ रहा – आ धरती है बलिदान री,
धरती धोरां री.....

ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी शैतान हैं या मानवीय क्रूरता में विश्वास करते हैं। लेकिन जब संसाधन इतने भयावह हों और रहने की स्थितियाँ इतनी कठोर हों, तो जीवित रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। आज भी थोड़ा बदलाव आया है, फिर भी राजस्थान में छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए स्थितियाँ बहुत कठोर हैं। क्या बदल गया है – मारवाड़ियों ने पैसे, प्यार, संसाधनों और अस्तित्व के मूल्य का ज्ञान खो दिया है। हालाँकि मैंने मारवाड़ियों के साथ बहुत दिन बिताए लेकिन मैं उनके साथ ज्यादा निवास नहीं कर सका, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग कोलकाता में हुई तो मैं एक ऐसी इमारत में रहता था जहाँ बाकी सभी फ्लैटों के निवासी मारवाड़ी थे। मैंने उस इमारत में 4 साल बिताए और उस अमूल्य अनुभव ने मारवाड़ियों के प्रति मेरे मन में सम्मान बढ़ा दिया। उन्होंने 200 वर्षों के बाद भी अनमोल सीखों, परंपराओं, त्योहारों, मूल्यों और मातृभूमि के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखा है। खाटूश्याम जी और सालासर बाला जी के भक्तों के कारण हावड़ा एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस सभी दिन पूरी तरह से भरी हुई पाई जाती हैं। खाटूश्याम जी और सालासर बाला जी की सवामणी 2000 किमी दूर तक प्रभावी है, यह धारणा मुझे उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। केवल कोलकाता और मुंबई में ही मुझे यह एहसास हुआ कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापी है और 2000 किमी की दूरी पर सालासर बालाजी की सवामणी की प्रभावशीलता खोजने के बाद यह विश्वास इतना पुष्ट हो गया कि अब तक यह अटल है। जीवन में छोटी–छोटी चीजों की सराहना करना भी मारवाड़ियों के जीवन का एक हिस्सा है, मौसम का आनंद या चुटकुले में हास्य का आनंद लेना शायद ही कोई मारवाड़ी भूलेगा। मारवाड़ियों को सुखों के लिए भुगतान करने में

शायद ही कभी रुचि होती है, शायद इस भावना के पीछे धारणा यह है कि सुख कभी भी चीजों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

मारवाड़ियों के बारे में एक और अनोखी बात यह है कि वे अपने संसाधनों को पहले परिवार की भलाई के लिए खर्च करते हैं, दूसरे अपने जाति के लिए और तीसरे नंबर पर गांव के लिए। परिवार के लिए खर्च करना इतना अजीब नहीं है, लेकिन जाति के लिए – यह अन्य समाजों में आम नहीं है। जब मैंने अपना समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करते हुए बिताया तो मुझे इसके पीछे कारण मिला। राजस्थान में कास्ट सिस्टम को अक्सर आजीविका के लिए समाज के विभाजन के रूप में माना जाता है, जब तक आपको जीवन जीने का अलग साधन नहीं मिल जाता, तब जाति और संप्रदाय के सदस्यों को अस्तित्व के लिए एक–दूसरे का सहयोग करना होगा, यह मजबूरी भी है और जरूरत भी। अंत में मैं आपका ध्यान एक कहावत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो मनुष्य की मूल्य प्रणाली और निर्णय लेने में मार्गदर्शक हो सकती है :

मारवाड़ नर निपाजे, नारी जैसलमेर,
तुरी तो सिंधन संत्रा, काशल बीकानेर।।

सबसे खूबसूरत लोग मारवाड़ में पैदा होते है और सबसे खूबसूरत औरतें जैसलमेर की होती है। सिंध के घोड़े और बीकानेर के ऊंट सबसे अच्छा होते है।

राहुल शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक
वित्त विभाग,
यूको बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर

पेड़ रोते हैं

पेड़ कटे, तो धूप बढ़ी,
छाँव कहीं अब मिलती नहीं।
हरियाली थी जहाँ कभी,
अब इमारतें गिनती नहीं।

पंछी खोजें घर का रस्ता,
नदियाँ सूखी, खो गया बस्ता।
साँस भी अब भारी लगती,
धरती जैसे रोती रहती।

घर–द्वार तो बन गए सुंदर,
पर बगिया कहाँ बची है अब?
खिड़की के उस पार जो हरियाली थी,
अब ईंटों की दीवार खड़ी है सब।

अब भी वक्त है कुछ कर लो,
एक–एक पेड़ तुम फिर बो लो।
विकास जरूरी, पर याद रहे,
प्रकृति से रिश्ता ना खो लो।

वृक्षों को फिर गले लगाएँ,
उनके साथ रिश्ता निभाएँ।
वरना आने वाली पीढ़ियाँ,
सिर्फ तस्वीरों में जंगल पाएँ।

एक पेड़ हम आज लगाएँ,
कल को फिर मुस्कान दिलाएँ।
धरती माँ के आँसू पोछें,
फिर से हरियाली लौटाएँ।

रविंद्र सिंह
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अंचल कार्यालय जयपुर

साइबर धोखाधड़ी

वर्तमान डिजिटल युग में बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई (UPI) और वॉलेट जैसे माध्यमों ने बैंकिंग को सुविधाजनक बना दिया है। परंतु इन डिजिटल माध्यमों के साथ–साथ एक नया खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है– "साइबर धोखाधड़ी"। यह आधुनिक तकनीक की एक काली छाया है जो आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को चुटकियों में गायब कर सकती है।

साइबर धोखाधड़ी क्या है?

साइबर धोखाधड़ी एक ऐसा आपराधिक कार्य है जिसमें इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके व्यक्ति या संस्था को धोखे में रखकर आर्थिक क्षति पहुँचाई जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में यह धोखाधड़ी ईमेल, एसएमएस, कॉल, फेक वेबसाइट या ऐप के जरिए की जाती है। साइबर अपराधी अत्यधिक तकनीकी ज्ञान और चालाक तरीकों से लोगों को फंसाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं।

बैंकिंग में साइबर धोखाधड़ी के प्रकार–

बैंकिंग क्षेत्र में होने वाली कुछ प्रमुख साइबर धोखाधड़ियाँ निम्नलिखित हैं :

1. **फिशिंग (Phishing)**
   - इसमें अपराधी नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर उपयोगकर्ताओं की गोपनीय जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, ओटीपी आदि चुरा लेते हैं।
2. **विषाणु (Malware) या स्पाइवेयर अटैक**
   - दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के जरिए यूजर के मोबाइल या कंप्यूटर में घुसपैठ कर ली जाती है और उनकी संवेदनशील जानकारी चुरा ली जाती है।
3. **स्मिशिंग (Smishing) और विशिंग (Vishing)**
   - ये SMS और कॉल के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी हैं, जिसमें अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर जानकारी हासिल करते हैं।
4. **फेक बैंक ऐप और वेबसाइट**
   - अपराधी असली बैंक ऐप की नकल कर नकली ऐप बनाते हैं और ग्राहकों को धोखे में डालकर जानकारी प्राप्त करते हैं।
5. **ATM स्किमिंग**
   - एटीएम मशीनों पर एक स्कीमर डिवाइस लगाकर कार्ड की जानकारी चुरा ली जाती है और बाद में उसका दुरुपयोग किया जाता है।

साइबर धोखाधड़ी के प्रभाव–

बैंकिंग साइबर धोखाधड़ी के अनेक दुष्परिणाम होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं :

आर्थिक नुकसान : सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि व्यक्ति की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में लूट ली जाती है।

मानसिक तनाव : आर्थिक क्षति के साथ–साथ व्यक्ति मानसिक रूप से भी टूट जाता है।

बैंकों की साख पर असर : लगातार होने वाली धोखाधड़ियाँ बैंकों की विश्वसनीयता को कम कर देती हैं।

डिजिटल बैंकिंग पर अविश्वास : ग्राहक डिजिटल माध्यमों पर भरोसा करने से कतराने लगते हैं।

साइबर धोखाधड़ी के कारण –

1. साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी
2. कमजोर पासवर्ड या बार–बार वही पासवर्ड उपयोग करना
3. फर्जी कॉल और मैसेज को पहचानने में असमर्थता
4. सार्वजनिक वाई–फाई का उपयोग करते समय संवेदनशील लेन–देन
5. फर्जी ऐप और वेबसाइट को वास्तविक मान लेना

सुरक्षा उपाय और समाधान –

बैंकिंग में साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ और उपाय जरूरी हैं :

1. OTP, पासवर्ड या कोई भी गोपनीय जानकारी किसी को न दें
2. केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करें
3. बैंक से संबंधित कॉल या मैसेज पर विश्वास करने से पहले सत्यापन करें
4. सुरक्षित और मजबूत पासवर्ड रखें और नियमित रूप से बदलें
5. मोबाइल और कम्प्यूटर में एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें
6. संदिग्ध लेन–देन की सूचना तुरंत बैंक को दें
7. RBI और सरकार द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन पोर्टल (जैसे [www.cybercrime.gov.in] (http://www.cybercrime.gov.in)) पर शिकायत दर्ज करें

सरकारी प्रयास एवं नियमन

- भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा कई कड़े कदम उठाए गए हैं :
- RBI की डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा गाइडलाइन
- बैंकों को ग्राहक की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की अनिवार्यता
- CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) द्वारा सतर्कता
- साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नं. 1930

निष्कर्ष

डिजिटल बैंकिंग ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं। यह आवश्यक है कि हम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें और स्वयं सतर्क रहें। यदि सरकार, बैंक और ग्राहक मिलकर जिम्मेदारी से कार्य करें, तो साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जागरूकता, सतर्कता और समय पर कार्रवाई ही सबसे बड़ा हथियार है।

संजय शर्मा
कार्यालय सहायक
पंजाब नैशनल बैंक मंडल कार्यालय
जयपुर–अजमेर

व्याख्यान : 'संस्कृति के विकास में मातृभाषा की भूमिका'

अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा 11 अप्रैल 2025 को **'संस्कृति के विकास में मातृभाषा की भूमिका'** विषय पर एक भाषाई संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक श्री हरि राम मीणा अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बैंक के जयपुर अंचल के उप महाप्रबंधक (अनुपालन एवं आश्वासन) श्री सुरेंद्र कुमार बिरानी के स्वागत वक्तव्य के साथ हुआ। श्री बिरानी ने अपने वक्तव्य में मातृभाषा और संस्कृति के संरक्षण की अहमियत पर अपनी बात रखी। उन्होंने हमारे जीवन में भाषा, संस्कृति और प्रकृति की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में अतिथि वक्ता श्री मीणा ने संस्कृति के विकास में मातृभाषा की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि, ष्भाषा संस्कृति को समझने की कुंजी है और किसी भी संस्कृति को समझने के लिए संबंधित भाषा का ज्ञान आवश्यक है।ष सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान की महत्ता पर बल देते हुए उन्होंने अलग–अलग युगों में संप्रेषण के माध्यमों के बारे में भी अपनी बात रखी।

इस अवसर पर अंचल के उप महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) ने मार्गदर्शी वक्तव्य दिया। उन्होंने देश एवं विदेशों में अपनी पदस्थापना के दौरान स्थानीय संस्कृतियों एवं भाषाओं के प्रयोग संबंधी अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में निवास कर रहे भारतीयों द्वारा अपनी संस्कृति को सहेजने के माध्यमों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अंचल की पत्रिका मरु–सृजन के नवीनतम अंक का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर बैंक के सहायक महाप्रबंधक (एसएलबीसी) श्री अनुज अवस्थी, सहायक महाप्रबंधक श्री गुरुविंदर सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन सहायक महाप्रबंधक श्री आलोक सिंह ने किया तथा संचालन मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री अम्ब्रेश रंजन कुमार ने किया।

IMG 11: क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

दिनांक 17 फरवरी 2025 को जयपुर में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में नराकास, जयपुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री, राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा से पुरस्कार ग्रहण करते हुए नराकास के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, जयपुर श्री एम अनिल एवं गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री नित्यानंद राय से पुरस्कार ग्रहण करते हुए नराकास के सचिव एवं मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, जयपुर श्री अम्ब्रेश रंजन कुमार।

IMG 12: क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक का स्टॉल दिनांक 17 फरवरी 2025 को जयपुर में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में का आयोजन किया गया जिसमें हमारे बैंक के स्टॉल का दौरा करती हुई माननीय श्रीमती अंशुली आर्या, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार एवं बैंक के कार्यपालकगण।

बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर की गतिविधियाँ

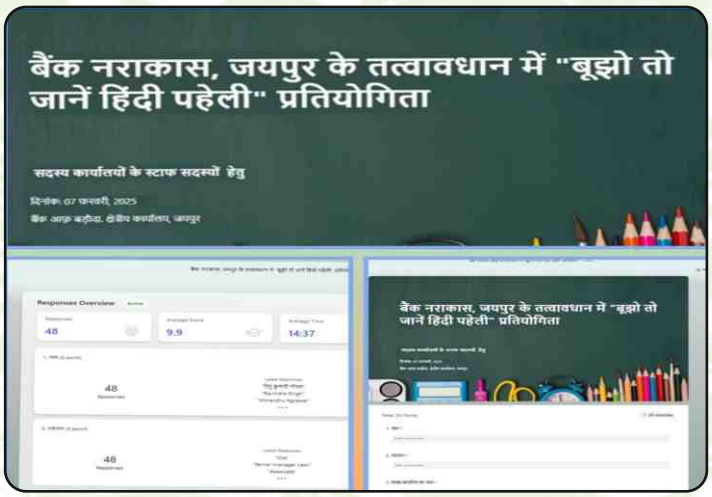

बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में अंतर बैंक "बूझो तो जाने हिन्दी पहेली" प्रतियोगिता का आयोजन

दिनांक 07.02.2025 को बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में बैंक ऑफ़ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर द्वारा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के माध्यम से अंतर बैंक "बूझो तो जाने हिन्दी पहेली" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बैंकों एवं बीमा कंपनियों से कुल 48 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

जयपुर क्षेत्र को प्रथम क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

दिनांक 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के तत्त्वावधान में जयपुर में आयोजित मध्य, पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में वर्ष 2023–24 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के कर कमलों से प्रथम क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार ग्रहण करते हुए क्षेत्रीय प्रमुख श्री दीपक कुमार सिंह एवं राजभाषा अधिकारी।

"राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन।

दिनांक 27.06.2025 को जयपुर क्षेत्र की जौहरी बाजार शाखा के स्टाफ सदस्यों हेतु "राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। शाखा में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में सहभागिता की। प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार स्वरूप उपहार देकर सम्मानित किया गया।

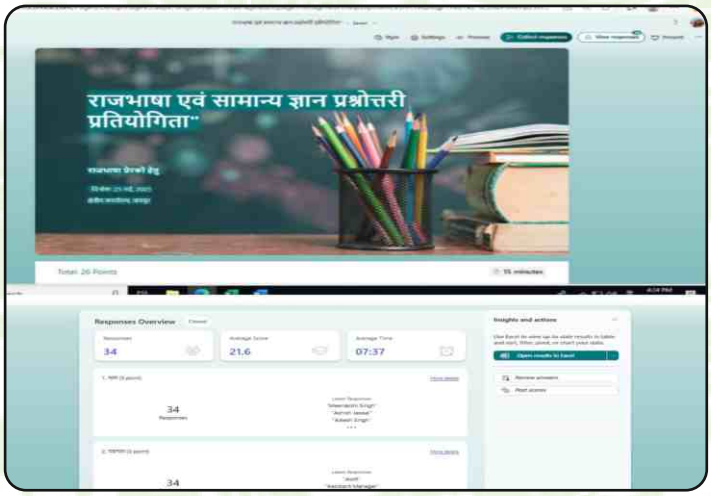

राजभाषा प्रेरकों हेतु "राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन।

दिनांक 25.06.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा राजभाषा प्रेरकों हेतु ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के माध्यम से "राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 34 राजभाषा प्रेरकों ने सहभागिता की।

बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर की गतिविधियाँ

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक नराकास जयपुर के तत्वावधान में आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता आंचलिक प्रबंधक श्री राजेश कुमार सिंह एवम नराकास सचिव श्री अंब्रेश कुमारकी उपस्थिति में की गई।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर की गतिविधियाँ

दिनांक 30.04.2025 को बैंक नराकास जयपुरके तत्वावधान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा टैगोर पब्लिक स्कूल अम्बाबाड़ी तथा टीवीबी गर्ल्स पब्लिक सी. सै. स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चित्र देखो –कहानी लिखो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 14.05.2025 बैंक नराकास जयपुर के तत्वावधान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा टैगोर पब्लिक स्कूल अम्बाबाड़ी तथा टीवीबी गर्ल्स पब्लिक सी. सै. स्कूल के विद्यार्थियों हेतु उत्साहवर्द्धन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सेन्ट्रएल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 03.06.2025 को बैंक नराकास, जयपुर के तत्वावधान में "साइबर धोखाधड़ी से बचाव" विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजनकिया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री परिस देशमुख, आईपीएस, डिआईजी, एस ओ जी, राजस्थान, ने इस महत्वपूर्ण सत्र में सभी प्रतिभागियों का मागर्दशन किया।

इंडियन बैंक, जयपुर की गतिविधियाँ

अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित इंड–मरुधरा के आठवें अंक का विमोचन कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री बृजेश कुमार, कार्यपालक निदेशक इंडियन बैंक द्वारा, डॉ. हरिओम आई ए एस, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार, श्री गणेश रमन, मुख्य महाप्रबंधक, मा स प्र एवं श्री मनोज कुमार दास, महाप्रबंधक की उपस्थिति में की गई।

दिनांक 10.01.2025 को अंचल कार्यालय, जयपुर में विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्टाफ़ सदस्यों हेतु 'मुक पहेली प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता स्टाफ़ सदस्यों को पुरस्कृत किया गया।

अंचल कार्यालय जयपुर द्वारा अधिकारियों हेतु आयोजित हिंदी कार्यशाला।

इंडियन ओवरसीज बैंक, जयपुर की गतिविधियाँ

दिनांक 10.01.2025 को विश्व हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता के विजेता सदस्यों को पुरस्कृत करते हुए मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय श्री अमित अनु।

दिनांक 10.02.2025 को बैंक नराकास जयपुर के तत्वावधान में, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मांचवा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय श्री अमित अनु।

दिनांक 08.03.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की झलकी।

दिनांक 24.06.2025 को आयोजित सामान्य हिन्दी कार्यशाला की झलकियाँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल प्रथम जयपुर की गतिविधियाँ

दिनांक 25 फरवरी 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर–प्रथम की राजभाषा गृह–पत्रिका "प्रतिबिम्ब" के 33 वें अंक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष व. मं.प्र. श्री संजय कुमार, राजभाषा प्रभारी श्री पवन कुमार– प्रबंधक कार्मिक (मं.प्र.), राजभाषा अधिकारी श्री दुर्गा शंकर एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्य।

बैंक नराकास जयपुर द्वारा दिए गए दायित्त्व की अनुपालना के अनुक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर–प्रथम ने स्थानीय विद्यालय में सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन के साथ शैक्षिक सामग्री का वितरण किया

दिनांक 07 मार्च को मंडल कार्यालय की महिला कार्मिकों द्वारा महिला दिवस के अवसर पर स्वरचित हिंदी काव्य–पाठ का आयोजन किया गया।

भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल द्वितीय जयपुर की गतिविधियाँ

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जे ई सी सी, जयपुर मे दिनांक 17.02.2025 को आयोजित किया गया स भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय जयपुर द्वितीय द्वारा स्टाल प्रदर्शनी लगाई गयी उपस्थिति कार्मिकों का विवरण स इस अवसर पर श्री सुमेर सिंह मीना, स.शा.प्र.(ए.) शा.का. सांगानेर, श्री धर्मवीर मीना, उ.श्रे.स., शाखा करोली, श्री जय कुमार मीना, उ.श्रे.स., म.का. जयपुर द्वितीय, श्री प्रेम राज शर्मा, उ.श्रे.स., म.का. जयपुर द्वितीय उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जे ई सी सी, जयपुर मे दिनांक 17.02.2025 को आयोजित किया गया स भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय जयपुर द्वितीय द्वारा स्टाल मे आगन्तुओं को निगम के उत्पादों की जानकारी देते हुए– श्री सुमेर सिंह मीना, स.शा.प्र.(एजेंसी) शाखा कार्यालय सांगानेर, जयपुर।

ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जयपुर की गतिविधियाँ

क्षेत्रीय कार्यालय में वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही के लिए एक दिवशीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 16 जून 2026 को किया गया।

पंजाब नेशनल बैंक जयपुर की गतिविधियाँ

दिनांक 10.01.2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय जयपुर–अजमेर में आयोजित कवि संगोष्ठी में उपस्थित मंडल प्रमुख श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य वक्ता एवं कवि "अमित आजाद" एवं उपस्थित स्टाफ सदस्य

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ममाना ग्राम में विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्र–छात्राओं को मंडल प्रमुखश्री धर्मेंद्र कुमार द्वारा पुरस्कृत किया गया

पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर द्वारा उत्कर्ष शिक्षण संस्थान, जयपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए राजभाषा प्रश्नोत्तरी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्र–छात्राओं को उप मंडल प्रमुख श्री प्रेमचंद बागड़ी एवं प्रबन्धक राजभाषा डॉ. ममता मीणा द्वारा पुरस्कृत किया गया।

मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर द्वारा जून तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक दिनांक 23.06.2025 में उपस्थित मंडल प्रमुख श्री धर्मेंद्र कुमार, उप मंडल प्रमुख श्री प्रेमचंद बागड़ी, एवं समिति के सदस्य।

मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में उपस्थित मंडल प्रमुख श्री धर्मेंद्र कुमार, उप मंडल प्रमुख श्री प्रेमचंद बागड़ी एवं प्रतिभागी

पंजाब नैशनल बैंक मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर द्वारा आयोजित वेबिनार में उपस्थित मंडल प्रमुख श्री धर्मेंद्र कुमार, उप प्रबन्धक राजभाषा श्री आशीष कुमार मीणा, मुख्य वक्ता डॉ सीमा जोशी एवं प्रतिभागी सदस्य

पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की गतिविधियाँ

अंचल की पत्रिका 'पीएनबी संदेश' का विमोचन करते हुए श्री राजेश भौमिक, अंचल प्रमुख व अन्य उच्चाधिकारीगण ।

श्री राजेश भौमिक, अंचल प्रमुख, पीएनबी, जयपुर अंचल की एक नवोन्मेषी व अनुकरणीय पहल अंचल के 3 उत्कृष्ट राजभाषा अधिकारियों को प्रमाण–पत्र व मण्डल के कार्मिकों को केक भेंट

दिनांक 15.04.2025 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करती हुई सुश्री दिशा अग्यारिया, प्रबन्धक–राजभाषा, पीएनबी अंचल कार्यालय, जयपुर

सिडबी जयपुर की गतिविधियाँ

10 फरवरी, 2025 को सिडबी जयपुर द्वारा संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 अधिकारियों ने सहभागिता की। अहमदाबाद क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री नरेश बबूता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री शशिधर पुरोहित सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्य ने भी इसमें एक सत्र का संचालन किया।

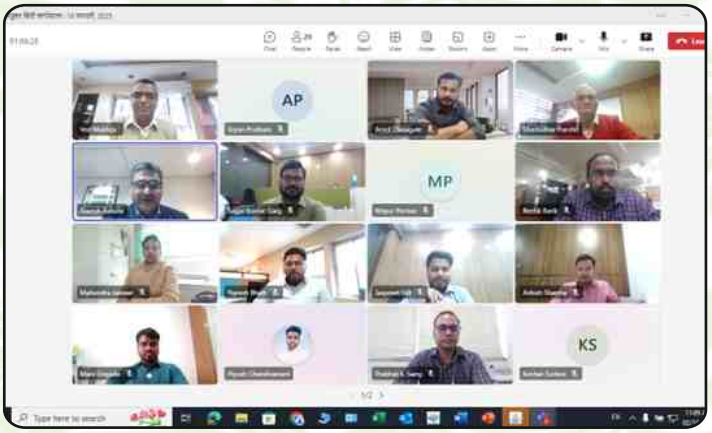

14 जून, 2025 को सिडबी, जयपुर द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी कार्यशाला में कुल 15 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान राजभाषा नीति, मानक हिंदी वर्तनी तथा हिंदी टिप्पण संबंधी उपयोगी सत्र संचालित किए गए।

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जयपुर की गतिविधियाँ

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की राजभाषा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की गई तथा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को "उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र" प्रदान किया गया। निरीक्षण के दौरान युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के प्रधान कार्यालय से महाप्रबंधक श्री प्रणय कुमार, उप महाप्रबंधक सुश्री आर. मीना, प्रबंधक श्री ए. सूर्यप्रकाश उपस्थित रहे। क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से उप महाप्रबंधक श्री विजय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आलोक जैन, तथा सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री राहुल खरे ने सहभागिता की।

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की पत्रिका "साथ–साथ" के अंक 36 का विमोचन

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय की पत्रिका "साथ–साथ" के अंक 36 का भी विमोचन किया गया। यह सौभाग्य की बात रही कि पत्रिका का विमोचन माननीय सांसदगण एवं प्रधान कार्यालय के उच्च अधिकारियों के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ।

केनरा बैंक, जयपुर की गतिविधियाँ

राजभाषा कक्ष, मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग, अंचल कार्यालय–जयपुर

अंचल कार्यालय, जयपुर में दिनांक 13 जून 2025 को प्रधान कार्यालय द्वारा जून–2025 तिमाही के लिए दिए गए विषय–ग्राहक–संतुष्टि के युग में तकनीकी व्यवधान (Technological glitches in the Era of Customer Delight-) विषय पर **'हिंदी में परिचर्चा–कार्यक्रम'** का आयोजन किया गया। परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक (पदनामित), अंचल कार्यालय, जयपुर करते हुए का छायाचित्र। परिचर्चा कार्यक्रम में अंचल कार्यालय, जयपुर के सभी कार्यपालकगण, सभी अनुभागों के अनुभाग–प्रमुख एवं कर्मचारीगण सहभागिता करते हुए ।

भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर की गतिविधियाँ

कवि सम्मेलन– 2025 का आयोजन

राजभाषा कक्ष, जयपुर की वार्षिक गतिविधियों के अंतर्गत दिनांक 19 मार्च 2025 को कवि सम्मेलन का आयोजन स्टाफ–कॉलोनी स्थित प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बावरा, श्री रोहित शर्मा, सुश्री हिमांशी बाबरा और श्री अखिलेश तिवारी ने अपनी जीवंत उपस्थिति और शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

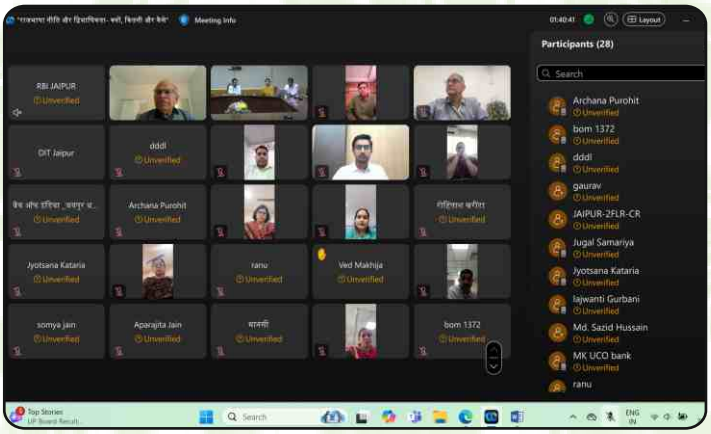

"राजभाषा नीति और द्विभाषिकता–क्यों, कितनी और कैसे" विषय पर वेबिनार का आयोजन

जयपुर कार्यालय द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2025 को बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के तत्वावधान में "राजभाषा नीति और द्विभाषिकता–क्यों, कितनी और कैसे"विषय पर वेबिनार का आयोजनकिया गया। डॉ. रमाकांत गुप्ता (सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक) अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में बैंक नराकास के सदस्यों द्वारा सहभागिता की गई।

अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 2025 का आयोजन

जयपुर कार्यालय द्वारा 26 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में स्टाफ–सदस्यों के लिए "अभिव्यक्ति" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राजेश सिंह, महाप्रबंधक द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। कार्यक्रम के आरंभ में उप महाप्रबंधक श्री लाल सिंह भाटी द्वारा उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी स्टाफ–सदस्यों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, स्टाफ–सदस्यों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक परिधान और संबंधित राज्य की मातृभाषा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में स्टाफ–सदस्यों ने आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल आदि राज्यों की मातृभाषा में परिचय एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रस्तुत कीं।

विश्व हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर व्याख्यान, काव्यपाठ और "बैंक की हिंदी वेबसाइट पर कहां क्या है" प्रतियोगिता का आयोजन

जयपुर कार्यालय द्वारा 10 जनवरी 2024 को आरबीआई /90 और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष व्याख्यान और गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थितरही। श्री लाल सिंह भाटी, उप महाप्रबंधक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य वक्ता श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा" वैश्विक परिदृश्य में कृत्रिम मेधा का भाषा और साहित्य पर प्रभाव"विषय पर व्याख्यान दिया गया।

सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं राजभाषा प्रभारी

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय प्रमुख	राजभाषा प्रभारी
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, "बड़ौदा भवन" प्लॉट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर–302018	श्री एम अनिल, महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख, दूरभाष : 0141–2727101 ई–मेल : zm.rz@bankofbaroda.com	श्री अंब्रेश रंजन कुमार, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9634885718, ई–मेल : rajbhasha.rz@bankofbaroda.co.in
2.	पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय जयपुर अजमेर, द्वितीय तल, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर	श्री धर्मेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 8238559749 ई–मेल : coajmraj@pnb.co.in	डॉ ममता मीना, प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 8890155809, ई–मेल : coajmraj@pnb.co.in
3.	आंचलिक कार्यालय, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 30–31, मोहन टॉवर, प्रिंस रोड़, विद्युत नगर, अजमेर रोड़, जयपुर–302021	श्री अविनाश कुमार तिवारी, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाषः 8146031913 ई–मेलः zm.jaipur@psb.co.in	श्री सुशील कुमार, प्रबंधक, दूरभाष : 8558849599, 7269990999, ई–मेल : sushil-kumar2@psb.co.in
4.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा, चौथा और पांचवां तल, बीमा भवन, एन बी सी सी सेंटर, लालकोठी स्कीम, सहकार मार्ग, जयपुर	श्री चेतन लाल रैगर, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाष : 7665014968 ई–मेलः cl.raiger@nic.co.in	सुश्री अनुराधा शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 8638731132, ई–मेल : anuradha.sharma@nic.co.in
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, किसान भवन लाल कोठी टोंक रोड जयपुर 302005 राजस्थान	श्री रंजीत कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 8898078004 ई–मेल : rh.jaipur@unionbankofindia.bank	श्री कमल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 8638731132, ई–मेल : Kamal.kumar@unionbankofindia.bank
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, एस बी 57, प्रथम तल, रिद्धि टावर, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर 302015	श्री निधिर कान्त, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाषः 7358352009 ई–मेल : jaipurrm@iobnet.co.in	श्रीमती रेणु सरोज, सहायक प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9166118651, ई–मेल : renusaroj@iobnet.co.in
7.	भारतीय जीवन बीमा निगम , द्वितीय, कार्मिक विभाग, 5 वां तल, सेक्टर –5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर 382833	दिनेश कुमार तनानिया, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दूरभाषः 0141–2795852 / 9167939815 ई–मेलः sdm.jaipur2@licindia.com	श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 9414340632, ई–मेल : rajendrakumar.6412@gmail.com
8.	भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, छथ 01, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टोंक रोड, जयपुर 302015	प्रदीप्त किशोर पांडा, उप महाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी, दूरभाष : 0141–2256311 ई–मेल : cdo.lhojai@sbi.co.in	श्री प्रदीप कुमार, मुख्य प्रबंधक, राजभाषा, दूरभाष : 8527891007, ई–मेल : rajbhasha.lhojai@sbi.co.in
9.	राष्ट्रीय आवास बैंक, NF 01, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टोंक रोड, जयपुर 302015	श्री रवि कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाष : 099684 09600 ई–मेल : ravi.singh@nhb.org.in,	सुश्री अपराजिता जैन, प्रबंधक, दूरभाष : 8130492090, ई–मेल : aparajita.jain@nhb.org.in
10.	दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय : द्वितीय तल, टोंक रोड, नेहरू प्लेस, जयपुर–302015	श्री बी. सी. सेठी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाष : 8107477958 ई–मेल : bc.sethi@newindia.co.in,	श्री घनश्याम मीणा, सहायक प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9868797205, ई–मेल : ghanshyam.meena@newindia.co.in
11.	भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्किल, टोंक रोड़, जयपुर – 302004	श्री नवीन नंबियार, क्षेत्रीय निदेशक, दूरभाष : 0141–2577952 ई–मेलः rdjaipur@rbi.org.in	श्री लुईस होरो, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाष : 9746966444, ई–मेल : louishoro@rbi.org.in
12.	आईडीबीआई बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, शोरूम न. 2 एवं 3, सन्नी पैराडाइज, नीलकमल कंपनी के पास, टोंक रोड, जयपुर – 302015	श्री अनुपम पार्थसारथी, महाप्रबंधक, दूरभाषः 9819642551 ई–मेल : anupam.parthasarthi@idbi.co.in	श्री मनोज कुमार राजोरिया, प्रबंधक, दूरभाष : 9799927768, ई–मेल : manoj-rajoria@idbi.co.in
13.	बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय जयपुर, बी 4, सेक्टर – 2, स्टार हाउस, जवाहर नगर, जयपुर	श्री राजेश कुमार सिंह, अंचल प्रबंधक, दूरभाष : 9031077709 ई–मेलः zo.jaipur@bankofindia.co.in	श्री रोहिताश कुमार खरींटा, प्रबंधक, राजभाषा, दूरभाष : 9829909605, ई–मेल : Jaipur.rajbhasha@bankofindia.co.in
14.	यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय – एनबीसीसी सेंटर सहकार मार्ग ज्योति नगर जयपुर	श्री विजय कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 9833907325 ई–मेल : vijaykumar@uiic.co.in	श्री राहुल खर्रे, उप प्रबंधक, दूरभाष : 9602729860, ई–मेल : rahulk@uiic.co.in

सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं राजभाषा प्रभारी

क्र.	सदस्य कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय प्रमुख	राजभाषा प्रभारी
15.	बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, "बड़ौदा भवन" प्लॉट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर–302018	श्री देबाशीष बक्शी, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 8094018100 ई–मेल : rm.jaipur@bankofbaroda.com	सुश्री नारायणी देवी, प्रबंधक, राजभाषा, दूरभाष : 8725882677, ई–मेल : rajbhasha.jaipur@bankofbaroda.co.in
16.	यूको बैंक, अंचल कार्यालय जयपुर ऑर्बिट मॉल द्वितीय तल जयपुर	श्री राजेश कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412226155 ई–मेल : zojaipur.ol@ucobank.co.in	श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 7696386540, ई–मेल : zojaipur.ol@ucobank.co.in
17.	भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जयपुर, ए–5 नेहरू प्लेस,जयपुर–302015	श्री प्राणेश प्रशांत, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141 2745351 ई–मेल : dgm.zojai@sbi.co.in	श्री नीरज शर्मा, प्रबंधक, दूरभाष : 8527600366, ई–मेल : neeraj.sharma45@sbi.co.in
18.	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय जयपुर, 6टा तल, फॉर्चून हॉइट्स, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी स्कीम, जयपुर राजस्थान 380001	श्री प्रशांत कुमार राजू, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141 2379904 ई–मेल : zmjaipur@mahabank.co.in	सुश्री रश्मि शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, दूरभाष : 8770610600, ई–मेल : hindi_jai@mahabank.co.in
19.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, प्रथम तल, एल आई सी कॉप्लेक्स भवानी सिंह मार्ग जयपुर 302005	श्री भानू प्रकाश वर्मा, महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412946039 ई–मेल : rojaipur@sidbi.in	श्री वेद मखीजा, सहायक महाप्रबंधक (हिंदी), दूरभाष : 8764064618, ई–मेल : Vedmakhija@sidbi.in
20.	केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, ऑर्बिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर	श्रीमती गीतिका शर्मा, महाप्रबंधक, दूरभाष : 8334993838 ई–मेल : jaipurco@canarabank.com	श्री रवि प्रकाश मीना, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9414553531, ई–मेल : raviprakashm@canarabank.com
21.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, 3, नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर	श्री डॉ राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412740821 ई–मेल : jaipur@nabard.org	श्री अरविंद पारीक, सहायक महाप्रबंधक, दूरभाष : 9829972282, ई–मेल : arvind.pareek@nabard.org
22.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, द्वितीय तल, ऑरबिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर	श्री विपिन कुमार शुक्ला, महाप्रबंधक, दूरभाष : 9619015063 ई–मेल : fgm.jaipur@unionbankofindia.bank	सुश्री सोनिया चौधरी, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9560622690, ई–मेल : Sonia.choudhary@unionbankofindia.bank
23.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आनंद भवन प्रथम तल संसार चंद्र रोड जयपुर	श्री शैलेश वर्मा, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 9792068555 ई–मेल : rmjaipro@centralbank.co.in	सुश्री रानू साव बैरवा, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 6295561377, ई–मेल : hindijaipro@centralbank.co.in
24.	पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय जयपुर, पीएनबी हाउस, 2 नेहरू प्लेस, चतुर्थ तल, टोंक रोड, जयपुर 302015	श्री राजेश भौमिक, महाप्रबंधक, दूरभाष : 0141–2743349 ई–मेल : zojaipur@pnb.co.in	श्री अजय सक्सेना, वरिष्ठ प्रबंधक–राजभाषा, दूरभाष : 9828288093, ई–मेल : zojprraj@pnb.co.in
25.	भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय 1, जीवन प्रकाश, भवानी सिंह मार्ग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर–302005	श्री संजय कुमार, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दूरभाष : 0141–2747081 ई–मेल : sdm.jaipur@licindia.com	श्रीमती नीता शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दूरभाष : 9783818986, ई–मेल : pir.jaipur@licindia.com
26.	दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 9वां, और 10वां तल, एनबीसीसी बिल्डिंग, बीमा भवन, सहकार मार्ग, जयपुर	श्री संजय जैन, उप महाप्रबंधक, दूरभाष: 0141–2850441 ई–मेल : sanjayjain@orientalinsurance.co.in	श्री नेमी चंद मीना, उप प्रबन्धक, दूरभाष : 9462809080, ई–मेल : nc.meena@orientalinsurance.co.in
27.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, दायाँ भाग, भूतल, जीवन निधि–1, भवानी सिंह रोड, जयपुर –302005,	श्री शत्रुघ्न प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबंधक, दूरभाष : 0141–2852150 / 9411393141 ई–मेल : shatrughanp@aicofindia.com	सुश्री श्रीप्रभा सैनी, उप प्रबंधक, दूरभाष : 8073384001, ई–मेल : shriprabhas@aicofindia.com
28.	केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, केनरा बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम ताल, ऑर्बिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर	बी. श्रीनिवास, उप महाप्रबंधक, दूरभाष : 01412220247 ई–मेल : b.srinivas@canarabank.com	श्री रवि प्रकाश मीना, प्रबंधक (राजभाषा), दूरभाष : 9414553531, ई–मेल : raviprakashm@canarabank.com
29.	इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर	श्री मिथिलेश कुमार, अंचल प्रबंधक, दूरभाष: 01412752216, मो: 7073452501 ई–मेल: zo.jaipur@indianbank.co.in	सुश्री अर्चना पुरोहित, प्रबन्धक, दूरभाष : 8079098787, ई–मेल : archana.purohit@indianbank.co.in

बैंक नराकास जयपुर के सदस्य कार्यालय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

AIC
भारतीय कृषि बीमा कंपनी
AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

नाबार्ड
NABARD

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

SBI

इंडियन बैंक
Indian Bank
इलाहाबाद
ALLAHABAD

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

pnb

केनरा बैंक
Canara Bank
Together We Can

IDBI BANK

सिडबी
sidbi

यूको बैंक
UCO BANK

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

The New India Assurance Co. Ltd
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance
National Insurance Company Limited